[2022] 12 एस. सी. आर. 591

एस. के. नौसाद रहमान और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2022 की सिविल अपील संख्या 1243)

10 मार्च, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

विक्रम नाथ, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्तालय निरीक्षक

आर. 4 (ii) भारत का संविधान-अनुच्छेद 309,14-16,21-सी. बी. आई. सी. द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि 2016 के बाद से भर्ती नियमों (जो 2002 के भर्ती नियमों को प्रतिस्थापित और प्रतिस्थापित करते हैं) में अवशोषित करके भर्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उन नियमों के प्रवर्तन के बाद अंतर आयुक्तालय हस्तांतरण (आई. सी. टी. एस.) के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है-सी. ए. टी. द्वारा चुनौती दिए गए परिपत्र की वैधता-उच्च न्यायालय द्वारा उलट निर्णय-की शुद्धता-आयोजितः उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर न्यायसंगत ठहराया कि 2002 के भर्ती नियमों में आई. सी. टी. के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है - आर के तुलनीय प्रावधान का अभाव है। 4 ((ii) 2016 के भर्ती नियमों में 2002 के भर्ती नियम-इसके विपरीत, 2016 के भर्ती नियमों के आर. 5 में विशेष रूप से कहा गया है कि प्रत्येक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सी. सी. ए.) का अपना अलग संवर्ग होगा जब तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सी. बी. ई. सी.) द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है।

आई. सी. टी. आर. में परिकल्पित प्रत्येक संवर्ग की विशिष्ट पहचान का उल्लंघन करेगा। 5 – कोई भी आई. सी. टी. आदेश उस क्षेत्र का उल्लंघन करेगा जो अनुच्छेद 309 के प्रावधान के संदर्भ में बनाए गए नियमों द्वारा अधिकृत है। परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि 2016 के भर्ती नियमों में अवशोषण द्वारा भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है और 2016 के भर्ती नियम लागू होने के बाद किसी भी आई. सी. टी. आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है-स्थानांतरण सेवा की एक शर्त है और यह नियोक्ता की शक्तियों के भीतर है कि वह कर्मचारियों को आई. सी. टी. प्रदान करने या न करने के लिए नीतिगत निर्णय ले-न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग उस प्रकृति के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता है-जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है, यह उत्तरदाताओं के लिए पति/पत्नी की नियुक्ति को समायोजित करने के लिए नीति पर पुनर्विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

विकलांगों और दयालु आधारों की आवश्यकताएँ

इस तरह की

अभ्यास को कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया जाना चाहिए, इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक मूल्य जो अनुच्छेद 14,15 और 16 और अनुच्छेद 21 में निहित हैं, विधिवत संरक्षित हैं-सेवा कानून।

भारत का संविधान-कला। 21 – पारिवारिक जीवन का संरक्षण

आयोजित किया गयाः राज्य को अपने कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करते समय पारिवारिक जीवन की रक्षा के महत्व पर उचित विचार करना होगा। व्यक्ति की गरिमा और गोपनीयता के अभिधारणा के एक तत्व के रूप में क्योंकि पारिवारिक जीवन का संरक्षण Art.21-सेवा कानून की एक घटना है।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,15 और 16-महत्वपूर्ण

अवसर की समानता-आयोजितः यह आवश्यक हो जाता है कि

सरकार ऐसी नीतियाँ अपनाएगी जिनके माध्यम से वह कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए औपचारिक समानता से अलग अवसर की पर्याप्त समानता का उत्पादन करती है-ठोस समानता प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य राज्य द्वारा निरंतर पैटर्न को पहचानने में पूरा किया जाना चाहिए।

एक बार जब वे कार्यस्थल पर होती हैं तो महिलाओं के साथ भेदभाव

इसलिए, राज्य को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपनी भूमिका के साथ-साथ एक ऐसी संस्था जो संवैधानिक मानदंडों के अधीन है, दोनों में मूल समानता के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए जब वह अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए भी नीति तैयार करता है-सेवा कानून।

सेवा कानून हस्तांतरण नीति-व्यक्तियों के अधिकार

विकलांग अधिनियम, 2016-आयोजितः यह समाज के विकलांग सदस्यों के लिए उचित आवास के सिद्धांत को मान्यता देने के लिए एक वैधानिक जनादेश है-इसलिए एक नीति के निर्माण में उस जनादेश को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसे संसद विकलांगों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार के एक आंतरिक तत्व के रूप में लागू करती है।

भारत का संविधान-न्यायिक समीक्षा-नीति निर्माण

आयोजित किया गयाः न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में न्यायालय कार्यपालिका को किसी विशेष नीति को तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकता है-फिर भी, किसी नीति की वैधता का आकलन संवैधानिक मापदंडों की कसौटी पर किया जा सकता है।

-

सेवा कानून।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 सेवा न्यायशास्त्र के कुछ बुनियादी सिद्धांत

ध्यान में रखा जाना चाहिएः

आई. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अखिल भारतीय सेवा में स्थानांतरण एक है

सेवा की घटना। क्या, और यदि ऐसा है तो कहाँ, एक कर्मचारी को एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. होना चाहिए।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

तैनात किए जाने वाले ऐसे मामले हैं जो सेवा की आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक कर्मचारी के पास अपनी पसंद के स्थानांतरण या नियुक्ति का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार या निहित अधिकार नहीं है।

ii. दूसरा, स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी निर्देश और प्रशासनिक निर्देश स्थानांतरण या नियुक्ति का दावा करने का अक्षम्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुविधा प्रशासन की व्यापक आवश्यकताओं के अधीन है।

iii. तीसरा, ऐसी नीतियाँ जो यह निर्धारित करती हैं कि पति-पत्नी की नियुक्ति

अधिमानतः होना चाहिए, और व्यावहारिक सीमा तक, उसी स्टेशन पर प्रशासन की आवश्यकता के अधीन हैं।

iv. चौथा, भर्ती पर लागू मानदंड और

सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की सेवा की शर्तें निम्नलिखित में निर्धारित की जा सकती हैं:

ए। सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित एक कानून;

बी। संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम; और सी। संघ के तहत सिविल सेवाओं के मामले में संविधान के अनुच्छेद 73 और राज्यों के तहत सिविल सेवाओं के मामले में अनुच्छेद 162 के तहत जारी किए गए कार्यकारी निर्देश।

वी. पाँचवाँ, जहाँ अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए कार्यकारी निर्देशों और नियमों के बीच टकराव है, वहाँ नियमों को प्रबल होना चाहिए। अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों और उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में, कानून की जीत होती है। जहां नियम कंकाल हैं या ऐसी स्थिति में जब नियमों में अंतर है, कार्यकारी निर्देश नियमों में जो कहा गया है, उसके पूरक हो सकते हैं।

vi. छठा, संघ को संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में लिया गया एक नीतिगत निर्णय और

राज्यों पर अनुच्छेद 162 उन भर्ती नियमों के अधीन है जो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत विधायी अधिनियम या नियमों के तहत बनाए गए हैं। [पैरा 23-29] [621-ए-डी; 622-एफ-जी; 623-ए-सी] 1.2 आर. आर. 2002 में नियम 4 में एक "विशेष प्रावधान" निहित है। नियम 4 (i) में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक आयुक्तालय का अपना [2022] 12 एस. सी. आर. होगा।

सी. बी. ई. सी. द्वारा अन्यथा निर्देशित किए जाने तक अपना अलग कैडर रखें। नियम

4 ((ii) एक गैर-अबाधित प्रावधान के साथ शुरू किया गया जिसके संदर्भ में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अधिकार क्षेत्र मुख्य आयुक्तालय था। यह आदेश देने के लिए सशक्त कि आयुक्तालय में किसी भी पद को दूसरे संवर्ग से संबंधित समान या तुलनीय पद धारण करने वाले व्यक्तियों के अवशोषण द्वारा भरा जा सकता है।

सी. बी. ई. सी. के अधीन आयुक्तालय। अबाधित प्रावधान आवश्यक था क्योंकि नियम 4 (i) में प्रत्येक आयुक्तालय के लिए अपना अलग संवर्ग रखने का आदेश था जब तक कि -

सी. बी. ई. सी. ने अन्यथा निर्देश दिया। प्रत्येक का स्पष्ट परिणाम अपने स्वयं के संवर्ग वाले आयुक्तालय को किसी अन्य आयोग के संवर्ग से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति को रोकना था जो अवशोषण के माध्यम से मिशनरी पर निर्भर था। संवर्ग के बाहर के व्यक्तियों के अवशोषण पर लगी रोक को हटा दिया गया था

नियम 4 (ii) का परिणाम, जिसने एक गैर-अबाधित प्रावधान को शामिल करके अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य आयुक्तालय को अनुमति दी आयुक्तालय में किसी पद को समान या तुलनीय पद धारण करने वाले लेकिन किसी अन्य आयुक्तालय के संवर्ग से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने की अनुमति दें। आर. आर. 2016 में, जैसा कि अधिसूचित किया गया है, नियम 5 में कहा गया है कि प्रत्येक सी. सी. ए. का अपना अलग संवर्ग होगा, जब तक कि सी. बी. ई. सी. द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए। पूर्ववर्ती नियम 4 (ii) में 'आयुक्तालय' को आर. आर. 2016 के नियम 5 में 'संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण' अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नियम 5 का स्पष्ट इरादा यह है कि प्रत्येक सीसीए के लिए एक अलग संवर्ग होगा और केवल सीबीईसी होगा

अन्यथा निर्देश देने का अधिकार सौंपा गया। इसलिए केवल सी. बी. ई. सी. ही एक से अधिक आयुक्तालयों के लिए एक संयुक्त संवर्ग के गठन का निर्देश दे सकता है। आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) में अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य आयुक्तालय को जो सक्षम करने की शक्ति प्रदान की गई थी, वह आर. आर. 2016 के नियम 5 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। केंद्रीय

आयुक्तालय और इस मौन या अंतराल को पूरक किया जा सकता है। कार्यकारी निर्देशों द्वारा। कार्यकारी निर्देश, यह था

प्रस्तुत किए गए, वे होंगे जो डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी किए गए ओ. एम. या राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों में सन्निहित हैं। प्रस्तुतिकरण में एक मौलिक भ्रांति है जिसका आग्रह एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. से किया गया है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

1.3 आर. आर. 2016 के नियम 5 में कहा गया है कि प्रत्येक सी. सी. ए. का एक अलग संवर्ग है और इसमें संवर्ग के बाहर के व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान नहीं है। इंडक्टिंग संवर्ग के बाहर के व्यक्तियों को अवशोषित करने के लिए अधीनस्थ कानून में एक विशिष्ट प्रावधान की आवश्यकता होती है, जिसका सरल कारण यह है कि संवर्ग की अवधारणा अन्यथा संवर्ग के बाहर के लोगों को लाने के खिलाफ होगी। यही कारण है कि पूर्ववर्ती आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) में इस आशय का एक विशिष्ट प्रावधान था। हालाँकि उस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है जब आर. आर. 2016 तैयार किया गया था। यदि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति के साथ सौंपा गया प्राधिकरण इस आधार पर ऐसा करता है कि प्रावधान दुरुपयोग के अधीन था और प्रशासन के हितों के विपरीत था, तो कोई भी कर्मचारी आई. सी. टी. का दावा करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। [पैरा 34] [626-सी-ई]

डी. ओ. पी. टी. को सौंपे गए विषयों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संरचना होनी चाहिए। वास्तव में, एक सामंजस्यपूर्ण की आवश्यकता जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, [2022] 12 एस. सी. आर. के नियम 4 (4) में पढ़ने पर जोर दिया गया है।

अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाया गया। इसी तरह, राजस्व विभाग द्वारा 27 मार्च 2009 को जारी किए गए निर्देश, आईसीटी पर प्रतिबंध में ढील, जो 19 फरवरी 2004 को लगाया गया था और उसके बाद के निर्देश 27 अक्टूबर 2011 को जारी किए गए थे। ये उस समय जारी किए गए थे जब आर. आर. 2016 तैयार किया जाना बाकी था। आर. आर. 2016 के तहत परिकल्पित शासन के लागू होने पर ये निर्देश शासन या प्रबल नहीं होंगे। [पारस 38,39] [630 डी-जी; 631-एफ-एच; 632-ए-सी]

1.5 उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में उचित था किः (i) आर. आर. 2002 में एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. के लिए एक विशिष्ट प्रावधान था।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

आई. सी. टी.; (ii) नियम के तुलनीय प्रावधान का अभाव है।

अलग संवर्ग जब तक कि सी. बी. ई. सी. द्वारा निर्देशित न किया जाए; (iv) कोई भी आई. सी. टी. नियम 5 में परिकल्पित प्रत्येक संवर्ग की विशिष्ट पहचान का उल्लंघन करेगा; (v) कोई भी आई. सी. टी. आदेश उस क्षेत्र का उल्लंघन करेगा जो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के संदर्भ में बनाए गए नियमों द्वारा अधिकृत है; (vi) 20 सितंबर 2018 के परिपत्र में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि आर. आर. 2016 में अवशोषण द्वारा भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है और कोई आई. सी. टी. आवेदन नहीं है। आर. आर. 2016 के लागू होने के बाद विचार किया जा सकता है; (vii) स्थानांतरण सेवा की एक शर्त है और यह नियोक्ता की शक्तियों के भीतर है कि वह कर्मचारियों को आई. सी. टी. देने या न देने के लिए नीतिगत निर्णय ले; और (viii) न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग उस प्रकृति के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता है। [पैरा 42] [634-सी-जी]

1.6 अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का निर्धारण करते समय नीति निर्माण का क्षेत्र केंद्रीय सिविल सेवा से संबंधित व्यक्तियों के लिए संघ को और उनकी सिविल सेवा से संबंधित व्यक्तियों के लिए राज्यों को सौंपा गया है। यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में कार्यपालिका को कोई विशेष नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। फिर भी, किसी नीति की वैधता का आकलन संवैधानिक मापदंडों की कसौटी पर किया जा सकता है। इसके अलावा, संवैधानिक मापदंडों पर किसी नीति की वैधता का परीक्षण करने से पहले, न्यायिक समीक्षा निश्चित रूप से राज्य को नीतियों को तैयार करते समय संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता तक विस्तारित कर सकती है। संविधान के भाग III के अधिदेश के अनुरूप, राज्य को अपनी नीति को इस तरह से तैयार करते समय संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए जो उन मूल्यों को लागू और लागू करता है। [पैरा 43] [634-जी-एच; 635-ए-बी]

1.7 इस न्यायालय ने कार्यस्थल पर लिंग के कारण प्रणालीगत भेदभाव के बारे में बात की है जो

पितृसत्तात्मक निर्माण जो एक अन्यायपूर्ण संरचना के भीतर प्रजनन, कामुकता और निजी विकल्पों सहित शुरुआत से ही एक महिला के अस्तित्व के सभी पहलुओं में व्याप्त है। डी. ओ. पी. टी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ओ. एम. ने माना है कि [2022] 12 एस. सी. आर. में महिलाओं को समानता और समान अवसर प्रदान करना।

राज्य के कार्यस्थल पर, सरकार के लिए ऐसी नीतियां अपनाना आवश्यक हो जाता है जिनके माध्यम से वह कार्यस्थल में महिलाओं के लिए औपचारिक समानता से अलग अवसर की पर्याप्त समानता पैदा करती है। महिलाएं एक पितृसत्तात्मक मानसिकता के अधीन होती हैं जो उन्हें प्राथमिक देखभाल करने वालों और गृहिणियों के रूप में मानती है और इस प्रकार, वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के असमान हिस्से के बोझ से दबी होती हैं। महिलाओं के लिए पर्याप्त समानता सुनिश्चित करने के उपाय न केवल उन नुकसानों को ध्यान में रखते हैं जो कार्यस्थल तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए काम करते हैं, बल्कि समान रूप से उन नुकसानों को भी ध्यान में रखते हैं जो एक महिला के कार्यस्थल तक पहुंच प्राप्त करने के बाद भी जारी रहते हैं। असमान परिणाम उत्पन्न करने में लिंग का प्रभाव पहुंच के बिंदु से परे काम करना जारी रखता है। मूल समानता प्राप्त करने के वास्तविक उद्देश्य को राज्य द्वारा निरंतर पैटर्न को पहचानने में पूरा किया जाना चाहिए। एक बार जब वे कार्यस्थल पर होती हैं तो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव। डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. दिनांक 3 अप्रैल 1986,23 अगस्त 2004,8 जुलाई 2009 और 30 सितंबर 2009 ने अंतर्निहित सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव को मान्यता दी जो कार्यस्थल पर महिलाओं के जीवन पर असर डालते हैं और भेदभाव करने के इरादे के साथ या उसके बिना भी असमान परिणाम उत्पन्न करते हैं। पति-पत्नी की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह इस मायने में मौलिक रूप से महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को अपनाने की आवश्यकता पर आधारित है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 15 (3) द्वारा मान्यता प्राप्त है। जिस तरीके से राज्य द्वारा एक विशेष प्रावधान को अपनाया जाना चाहिए, वह एक नीतिगत विकल्प है जिसका उपयोग संवैधानिक मूल्यों और प्रशासन की जरूरतों को संतुलित करने के बाद किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य को, एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपनी भूमिका के साथ-साथ एक ऐसी संस्था के रूप में जो संवैधानिक मानदंडों के अधीन है, मौलिक समानता के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए जब

यह अपने कर्मचारियों के लिए भी नीति तैयार करता है। [पैरा 48] [637-डीएच; 638-ए-सी] 1.8 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 एक वैधानिक अधिदेश है जो उचित के सिद्धांत को मान्यता देता है।

समाज के विकलांग सदस्यों के लिए आवास। इसलिए किसी नीति के निर्माण में उस जनादेश को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसे संसद एक आंतरिक तत्व के रूप में लागू करती है।

विकलांगों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार। [पैरा 49] [638-सी-डी; 639 ए]

विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग और अन्य (2021) 5 एस. सी. सी. 370; अवनि प्रकाश बनाम।

राष्ट्रीय एस. के. नौसाद रहमान और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

परीक्षण एजेंसी और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1112; रविंदर कुमार धारीवाल और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1293; अक्षय एन. पटेल बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन

एससी 1180-पर भरोसा किया।

1.9 वर्तमान मामले में राज्य को दो उद्देश्यों द्वारा निर्देशित किया गया हैः पहला, आई. सी. टी. के दुरुपयोग की संभावना और दूसरा, सेवा में होने वाली विकृति जिसके कारण बहुत कुछ होता है।

मुकदमेबाजी। राज्य को अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए एक नीति तैयार करते समय व्यक्ति की गरिमा और गोपनीयता के एक तत्व के रूप में पारिवारिक जीवन की रक्षा के महत्व पर उचित विचार करना होगा। पारिवारिक जीवन को बनाए रखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष नीति को कैसे संशोधित किया जाना चाहिए, यह राज्य द्वारा निर्धारित की जाने वाली सीमा पर छोड़ दिया जा सकता है। हालाँकि, अपनी नीति तैयार करते समय राज्य को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह पारिवारिक जीवन के संरक्षण सहित बुनियादी संवैधानिक मूल्यों से अनजान रहेगा, जो कि अनुच्छेद 21 की एक घटना है। [पैरा 51] [639-डी-ई]

1.10 20 सितंबर 2018 के परिपत्र में "असाधारण परिस्थितियों" को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि

" अत्यधिक दयालु आधार "। इन श्रेणियों को अनिर्धारित छोड़ते हुए, परिपत्र व्यक्तिगत मामलों को मामले-दर-मामले आधार पर उनके गुण-दोष के आधार पर निर्धारित करने की अनुमति देता है, जबकि यह निर्धारित करता है कि "ऋण आधार" पर हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि -

तीन साल के कार्यकाल के साथ प्रशासनिक आवश्यकताएँ,

इसे दो साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। आई. सी. टी. एस. को प्रतिबंधित करते हुए जो एक व्यक्ति के कैडर में अवशोषण की परिकल्पना करता है विशिष्ट संवर्ग, परिपत्र ऋण के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए हस्तांतरण की अनुमति देता है। क्या इस तरह के प्रावधान को विशेष रूप से शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए जिसमें (i) पति/पत्नी की नियुक्ति; (ii) विकलांग व्यक्ति; या (iii) अनुकंपापूर्ण स्थानांतरण शामिल हैं, यह एक ऐसा मामला है जिस पर बोर्ड द्वारा नीतिगत स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।

इस बात पर विचार करते हुए कि क्या नीति में कोई संशोधन आवश्यक है, उन्हें नीति के उद्देश्यों और इसे लागू करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच आनुपातिक संबंध की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। इन सबसे ऊपर नीति को [2022] 12 एस. सी. आर. होना चाहिए।

वैधता, उपयुक्तता, आवश्यकता और उन मूल्यों को संतुलित करने की कसौटी को पूरा करना जो एक सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार हैं।

उत्तरदाताओं को पति या पत्नी की नियुक्ति, विकलांगों की जरूरतों और अनुकंपा के आधार को समायोजित करने के लिए नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस तरह की कवायद को कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया जाना चाहिए, इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक मूल्य जो अंतर्निहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 और अनुच्छेद 21 विधिवत संरक्षित हैं। [पारस 52,53] [639-एफ-एच; 640-ए-डी]

प्रबीर बनर्जी बनाम। भारत संघ और अन्य (2007) 8

एससीसी 793: [2007] 10 एससीआर 694-प्रतिष्ठित।

बैंक ऑफ इंडिया बनाम जगजीत सिंह मेहता (1992) 1 एस. सी. सी. 303

: [1991] 2 पूरक। एस. सी. आर. 492; भारत संघ बनाम। एसएल अब्बास

(1993) 4 एससीसी 357: [1993] 3 एस. सी. आर. 427; लेफ्टिनेंट कर्नल निति‌शा

और अन्य वी। यूनियन ऑफ इंडिया 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी

261 पर भरोसा किया। भारत संघ और अन्य बनाम। सोमसुंदरम विश्वनाथ

और अन्य, (1989) 1 एससीसी 175: [1988] 3 पूरक। एससीआर

साहू (2007) 15 एस. सी. सी. 129: [2007] 5 एससीआर 697; जेएस यादव बनाम. यूपी राज्य। (2011) 6 एससीसी 570: [2011] 5 एससीआर

460 ; जरनैल सिंह बनाम। लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2022 एससीसी

ऑनलाइन एससी 96-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1991] 2 पूरक। एससीआर 492

उस पर भरोसा करें

पैरा 26

[1993] 3 एससीआर 427

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

[1988] 3 पूरक। एससीआर 146

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

[2007] 5 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2011] 5 एससीआर 460

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

[2007] 10 एससीआर 694

प्रतिष्ठित

पैरा 40

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.1243

2022 तक।

एसके नौसाद रहमान और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

उच्च न्यायालय के 10.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ओ. पी. में एर्नाकुलम में केरल के 2018 का (कैट) No.190।

के साथ

सिविल अपील सं। 1246-1248 , 1244-1245 , 1249 , 1250 , 1251-1265 ,

1266 और 2022 का 1267।

के. एम. नटराज, एएसजी, मनिंदर सिंह, राणा मुखर्जी, पी. एन.

रवींद्रन, नरेंद्र हुड्डा, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , उमाकांत मिश्रा, सिबो शंकर मिश्रा, येलामंचिली शिव संतोष कुमार, आदित्य भट, तरुण गुप्ता, ऋषि कपूर, आशीष पांडे, कपीश सेठ, प्रतीक राय, आशुतोष भारद्वाज, आकांक्षा राय, सुश्री साक्षी झा, संदीप शर्मा, विश्व पाल सिंह, मुकेश कुमार मारोरिया, मोहम्मद। अखिल, अनुलप जैन, पी. वी. योगेश्वरन, अभिषेक कुमार, शैलेश मडियाल, रोनक करणपुरिया, श्याम अग्रवाल, यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री प्रकृति रॉय, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

. 4 *

ए.

तथ्य।

बी प्रासंगिक परिपत्र और अधिसूचनाएँ। 10 *

ख. 1 द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देश

10 *

डीओपीटी

ख. 2 राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र,

वित्त मंत्रालय

14 *

सी.

19 *

प्रस्तुतियाँ।

विश्लेषण करें।

26 *

डी. एक

तथ्य

1. केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने एक

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं का समूह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देता है

अंतर-आयुक्तालय स्थानान्तरण 1 को वापस लेना। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

आयुक्तालय निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निवारक अधिकारी और परीक्षक) समूह 'बी' पद भर्ती नियम 2016 2 में आई. सी. टी. के लिए कोई प्रावधान नहीं है और इसके विपरीत, यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक संवर्ग

नियंत्रण प्राधिकरण 3 का अपना अलग संवर्ग होगा, जब तक कि अन्यथा न हो।

1 " आई. सी. टी "

2 " भर्ती नियम 2016 "या" आरआर 2016 "

3 " सीसीए "* एड। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्देशित। उच्च न्यायालय ने कहा कि आई. सी. टी. आर. आर. 2016 के नियम 5 के तहत परिकल्पित प्रत्येक संवर्ग की विशिष्ट पहचान का उल्लंघन करेंगे और इसलिए आई. सी. टी. को वापस लेने का परिपत्र अमान्य नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले ने दीवानी अपीलों के समूह को जन्म दिया है।

2. अपीलार्थी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि के निरीक्षक हैं।

सीमा शुल्क या, जैसा भी मामला हो, वस्तु और सेवा कर प्रशासन, जिन्हें विभिन्न सी. सी. ए. को आवंटित किया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 4

1962 यह प्रावधान है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को सीमा शुल्क के अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है जो वह उचित समझे। इसी तरह का प्रावधान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 20175 की धारा 4 में निहित है, जिसमें कहा गया है किः

" 4. (1) बोर्ड, धारा 3 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारियों के अलावा, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह

इस अधिनियम के तहत अधिकारी होना उचित समझा जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, आदेश द्वारा, धारा 3 के खंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को इस अधिनियम के प्रशासन के लिए केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त के पद से नीचे केंद्रीय कर के अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

'बोर्ड' शब्द को सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (16) में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है।

केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963। 3. 29 नवंबर 2002 को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग निरीक्षक (समूह सी पद) भर्ती नियम 20027 थे

अधिसूचित किया। आर. आर. 2002 संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के लिए शक्ति के स्रोत का पता लगाता है। नियम 4 निम्नलिखित शब्दों में थाः

" 4. विशेष प्रावधान। - (i) प्रत्येक आयुक्तालय का अपना अलग संवर्ग होगा जब तक कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क *

((ख) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी,

अधिकारिता वाला केंद्रीय उत्पाद शुल्क का मुख्य आयुक्त, यदि वह

लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझता है ताकि

" सीबीआईसी "

6 " सीबीईसी " 7 " भर्ती नियम 2002 "या" आर. आर. 2002 "" अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सी. बी. आई. सी.) के रूप में संदर्भित है।

एस. के. नौसाद रहमान और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकता है और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में किसी भी पद को समान या तुलनीय पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के अवशोषण द्वारा भरने का आदेश देता है, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत कैडर से संबंधित किसी अन्य आयुक्तालय या निदेशालय से संबंधित है।

4. आरआर 2002 को आरआर 2016 द्वारा प्रतिस्थापित और प्रतिस्थापित किया गया था। आर. आर. 2016 का नियम 5 प्रदान करता है किः

" 5.विशेष प्रावधान। - प्रत्येक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सी. सी. ए.) का अपना अलग संवर्ग होगा, जब तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

5. आर. आर. 2002 के नियम 4 और आर. आर. 2016 के नियम 5 की तुलना से संकेत मिलता है कि नियम 5 पूर्ववर्ती नियमों के नियम 4 (i) के समान है। नियम 4 (i) में कहा गया है कि प्रत्येक आयुक्तालय का अपना अलग संवर्ग होगा, जब तक कि सी. बी. आई. सी. द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। आर. आर. नियम 2016 का नियम 5 "आयुक्तालय" अभिव्यक्ति के लिए "सी. सी. ए". अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित करता है। उल्लेखनीय है कि आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) को आर. आर. 2016 के नियम 5 में स्थान नहीं मिलता है। नियम 4 (ii) में एक गैर-अबाधित प्रावधान था जिसके तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के एक अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य आयुक्त को सक्षम करने की शक्ति थी।

लोक हित में और निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन, सी. बी. आई. सी. के तहत किसी अन्य आयुक्तालय से व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति देना। आर. आर. 2002 का नियम 4 (ii) जिसमें एक स्पष्ट प्रावधान है।

आई. सी. टी. के लिए नियम 5 में शामिल नहीं किया गया था जब आर. आर. 2016 को अधिसूचित किया गया था। 6. 20 सितंबर 2018 को, सी. बी. आई. सी. ने एक परिपत्र 3 जारी किया जिसमें कहा गया है कि आर. आर. 2016 के बाद से भर्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

अवशोषण के बाद आई. सी. टी. के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

उन नियमों को लागू करना। परिपत्र वर्तमान मामले में विवाद की उत्पत्ति बनाता है और इसलिए इसे नीचे निकाला गया हैः

" सिरकुलर

विषयः नए भर्ती नियम, 2016 के आलोक में अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण (आई. सी. टी.) के संबंध में निर्देश।

ये निर्देश केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्तालय निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के संदर्भ में जारी किए जा रहे हैं।

निवारक अधिकारी और परीक्षक) समूह बी पद

भर्ती नियम, 2016 "

8 एफ. नहीं। ए-22015/117/2016-Ad.IIIA दिनांक 20 सितंबर 2018 [2022] 12 एस. सी. आर.

2. भर्ती नियमों के उल्लंघन में कोई भी कार्यकारी निर्देश के निर्णय के अनुपात के अनुसार अमान्य होगा

यू. ओ. आई. और अन्य बनाम सोमसुंद्रन 1 विश्वनाथ और अन्य के मामले में भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय। दिनांक 22.09.1988 (1990 एस. सी. 166 (10) जो निम्नानुसार थाः -

(1) " यह अच्छी तरह से तय है कि सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में मानदंड या तो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों द्वारा या भारत संघ के तहत सिविल सेवाओं के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत और राज्य सरकारों के तहत सिविल सेवाओं के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से। यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए कार्यकारी निर्देशों और नियमों के बीच टकराव है, तो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम

भारत की जीत "। इस प्रकार, के तहत तैयार किए गए भर्ती नियम अनुच्छेद 309 किसी भी कार्यकारी निर्देश पर प्रबल होगा जो इसके विपरीत हो सकता है।

3. इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि विभिन्न सी. सी. ए. एस. (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण) अंतर-आयुक्तालय स्थानान्तरण (! एफ. सं. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों का सी. टी.)। ए 22015/23/2011-ए. डी. आई. आई. ए. दिनांक 27.10.2011। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्तालय निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निवारक) के तहत अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण का मुद्दा

4. आई. सी. टी. आवेदनों पर पूर्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग के निरीक्षक के नियम 4 के तहत विचार किया जा रहा था। (समूह 'सी' पद) भर्ती नियम, 2002 जिसमें कहा गया है किः

" नियम 4. विशेष प्रावधान। - (i) प्रत्येक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सी. सी. ए.) का अपना अलग संवर्ग होगा जब तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है।

((ii) उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का क्षेत्राधिकार वाला मुख्य आयुक्त, यदि एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. हो सकता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है और ऐसी शर्तों के अधीन है जो वह मामले की परिस्थितियों और कारणों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकता है।

लिखित रूप में दर्ज करने के लिए, किसी भी पद का आदेश दें केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय को अवशोषण द्वारा भरा जाएगा

समान या तुलनीय पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों का लेकिन

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत निदेशालय। हालांकि, भर्ती नियम, 2016 के तहत नियम 5 के तहत विशेष प्रावधान वाले संबंधित प्रावधान में प्रावधान है कि "प्रत्येक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सी. सी. ए.) का अपना अलग संवर्ग होगा जब तक कि केंद्र द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। 5. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भर्ती नियम, 2016 में अवशोषण द्वारा भर्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं है और तदनुसार, इसके लागू होने के बाद किसी भी आई. सी. टी. आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता हैः

भर्ती नियम, 2016।

6. असाधारण परिस्थितियों में प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर जैसे कि अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर, इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति केवल ऋण के आधार पर हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरण की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है।

संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण। हालांकि, इस तरह के हस्तांतरण का अधिकतम कार्यकाल तीन साल का होगा और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर बोर्ड की विशिष्ट मंजूरी के साथ इसे दो साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह भी दोहराया जाता है कि ऋण के आधार पर स्थानांतरित किए गए अधिकारियों पर विचार नहीं किया जाएगा

पदोन्नति के लिए जब तक कि वे अपने मूल संवर्ग में फिर से शामिल नहीं हो जाते।

7. इसलिए, अब यह स्पष्ट किया जाता है कि आई. डी. 1 को या उसके बाद (यानी आर. आर., 2016 के अधिनियमन की तारीख से) जारी किए गए निरीक्षकों के ग्रेड में अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण के लिए एक कार्यालय आदेश गैर-स्थायी होगा और तदनुसार कोई भी अधिकारी जो इस तरह के आदेश के अनुसरण में किसी अन्य क्षेत्र में शामिल हुआ है, उसे ऋण के आधार पर मान लिया जाएगा। ये अधिकारी 31.03.2019 तक मानित ऋण पर होंगे, जिस तारीख को अधिकारियों को राहत दी जाएगी और उन्हें उनके मूल क्षेत्रों में वापस भेज दिया जाएगा। [.....] ”

7. यह स्पष्ट करते हुए कि आर. आर. 2016 के तहत, आई. सी. टी. के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, परिपत्र में कहा गया है कि नियम 5 में कहा गया है कि प्रत्येक [2022] 12 एस. सी. आर.

सी. सी. ए. का अपना अलग संवर्ग होगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। नियम 5 का अर्थ यह माना गया है कि प्रत्येक सी. सी. ए. का अपना कैडर, आई. सी. टी. होना चाहिए, जिसमें एक से स्थानांतरण शामिल है।

दूसरे को आयुक्तालय की अनुमति नहीं होगी और तदनुसार ऐसे स्थानान्तरण के लिए सभी आदेश जो 26 दिसंबर 2016 को या उसके बाद जारी किए गए थे (जिस तारीख को आर. आर. 2016 को अधिसूचित किया गया था) गैर-अनुमानित होंगे। हालांकि, परिपत्र में अनुमति दी गई है कि असाधारण परिस्थितियों में, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर और अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर, हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरित सी. सी. ए. की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इस तरह के हस्तांतरण की अधिकतम अवधि तीन साल तय की गई है जिसे दो साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

8. 20 सितंबर 2018 के परिपत्र की वैधता थी

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई। न्यायाधिकरण द्वारा चुनौती को बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण के फैसले को उलट दिया।

बी प्रासंगिक परिपत्र और अधिसूचनाएँ

9. विवाद को पूरी तरह से समझने के लिए, परिपत्रों और कार्यालय ज्ञापनों से निपटना आवश्यक होगा।

अतीत में मैदान पर रहे। कार्यकारी निर्देशों के दो समूह हैंः (i) पहला सेट उन निर्देशों से संबंधित है जो द्वारा जारी किए गए थे

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 1 और (ii) दूसरा सेट राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों से संबंधित है।

बी. 1 डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश

10. आई. सी. टी. के संबंध में डी. ओ. पी. टी. द्वारा निम्नलिखित कार्यकारी निर्देश जारी किए गए हैंः

डी. ओ. पी. टी. द्वारा 3 अप्रैल 1986 को ओ. एम. 1 जारी किया गया था। विषय-वस्तु।

((i)

ओम का यह थाः " एक ही स्टेशन पर पति और पत्नी की पोस्टिंग "। ओ. एम. ने कर्मचारियों की नियुक्ति से निपटा

केंद्र सरकार ने इस बात को रेखांकित किया कि प्रशासनिक बाधाओं के भीतर, यह सरकार की नीति थी कि जीवनसाथी को यथासंभव एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए। परिपत्र के पैराग्राफ 2 ने निम्नलिखित शब्दों में इसके औचित्य का संकेत दिया।

10 " डीओपीटी " 11 सं. 28036/7/86-अनुमान (ए)

नौसाद रहमान और ओआरएस। वी. भारत संघ ओ ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 2.सरकार. भारत ने सबसे अधिक महत्व दिया है

सभी क्षेत्रों और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में वृद्धि करना। रणनीतियाँ और नीतियां बनाई जा रही हैं

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एक ऐसी नीति होना भी आवश्यक माना जाता है जो महिलाओं को सक्षम बना सके। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के तहत कार्यरत और एक ओर पत्नी/मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का उपक्रम और दूसरी ओर उत्पादन श्रमिकों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करना। यह सरकार की नीति है। कि

प्रशासनिक व्यवहार्यता, पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन जी सकें और शिक्षा सुनिश्चित कर सकें और उनके बच्चों का कल्याण "।

परिपत्र के आलेख 4 में विभिन्न स्थितियों की परिकल्पना की गई है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि पति-पत्नी किस सेवा से संबंधित हो सकते हैं और निम्नलिखित बातों को स्पष्ट किया गया है:

" 4. उत्पन्न होने वाले मामलों के वर्ग और प्रत्येक वर्ग के मामले से निपटने के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं: -

वन सेवा (समूह-ए)। ((ii) जहां एक पति/पत्नी अखिल भारतीय सेवा में से किसी एक से संबंधित है।

और दूसरा पति या पत्नी केंद्रीय सेवाओं में से एक से संबंधित है: -

केंद्रीय सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण कर सकता है

अधिकारी को स्टेशन पर भेजें या यदि उस स्टेशन में कोई पोस्ट नहीं है

उस राज्य में जहाँ अन्य पति/पत्नी अखिल भारतीय से संबंधित हैं

सेवा पोस्ट की जाती है। (iii) जहाँ पति या पत्नी एक ही केंद्रीय सेवा से संबंधित हैं:

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी पति या पत्नी को नियुक्त कर सकता है

एक ही स्टेशन।

((iv) जहां पति या पत्नी एक केंद्रीय सेवा से संबंधित है और

अन्य पति या पत्नी किसी अन्य केंद्रीय सेवा से संबंधित हैं: -

स्टेशन पर लंबे समय तक सेवा देने वाला जीवनसाथी आवेदन कर सकता है

उपयुक्त संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी और उक्त प्राधिकारी [2022] 12 एस. सी. आर.

उक्त अधिकारी को स्टेशन पर तैनात किया जा सकता है, या यदि उस स्टेशन में उस राज्य में कोई पोस्ट नहीं है जहां अन्य केंद्रीय सेवा से संबंधित दूसरा पति या पत्नी तैनात है। (v) जहाँ एक पति या पत्नी अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है और

अन्य पति या पत्नी सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हैं:

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के तहत कार्यरत पति या पत्नी सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और उक्त प्राधिकारी उक्त अधिकारी को स्टेशन पर, या यदि उस स्टेशन में पीएसयू के तहत कोई पद नहीं है, तो उस राज्य में तैनात कर सकते हैं जहां दूसरा पति या पत्नी है।

पोस्ट किया गया।

(vi) जहां एक पति या पत्नी केंद्रीय सेवा से संबंधित है और दूसरा

जीवनसाथी पीएसयू से संबंधित है:

पीएसयू के तहत कार्यरत पति या पत्नी आवेदन कर सकते हैं

सक्षम प्राधिकारी और उक्त प्राधिकारी अधिकारी को उस राज्य में तैनात कर सकते हैं जहां दूसरा पति या पत्नी तैनात है। यदि, तथापि, अनुरोध इस कारण से मंजूर नहीं किया जा सकता है कि सार्वजनिक उपक्रम का उक्त स्टेशन/राज्य में कोई पद नहीं है, तो संबंधित पति/पत्नी

केंद्रीय सेवाएँ उपयुक्त संवर्ग पर लागू हो सकती हैं।

नियंत्रक प्राधिकारी और उक्त प्राधिकारी उक्त अधिकारी को स्टेशन पर तैनात कर सकते हैं या यदि उस स्टेशन में कोई पद नहीं है, तो

((vii) जहां एक पति या पत्नी केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत है। और दूसरा पति/पत्नी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है। : केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत पति या पत्नी। सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं उक्त अधिकारी को स्टेशन पर तैनात कर सकते हैं

या यदि उस स्टेशन में उस राज्य में कोई पोस्ट नहीं है जहां दूसरा पति या पत्नी तैनात है।

यह स्वीकार करते हुए कि उपरोक्त चित्र शामिल नहीं होंगे

से, ओ. एम. ने परिकल्पना की कि दिशानिर्देशों द्वारा कवर नहीं किए गए प्रत्येक मामले को सुनिश्चित करने के अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माना जाता है

उपयोग, जहाँ तक संभव हो और की सीमाओं के भीतर हैं मूल सुविधा, उसी स्टेशन पर तैनात।

डी. ओ. पी. टी. द्वारा 29 मई 1986 को एक ओ. एम. 1,2 जारी किया गया था।

)

जो प्रतिनियुक्ति पर होने के बाद अवशोषित व्यक्तियों की वरिष्ठता से संबंधित है;

20 / 7 / 80 - ऐसा है।

डी. औसद रहमान और ओ. आर. एस. वी. भारत का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

12 जून 1997 को एक ओ. एम. 1 3 13 जारी किया गया था जो "एक ही स्टेशन पर पति और पत्नी की पोस्टिंग" से संबंधित था। पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट। ओएम

एक ही स्टेशन पर जीवनसाथी की पोस्टिंग के अनुरोधों को तय करने के लिए 3 अप्रैल 1986 को पहले के ओ. एम. में निहित दिशानिर्देशों को दोहराया गया और यह परिकल्पना की गई कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की पोस्टिंग हमेशा तब तक की जाए जब तक कि बच्चे 10 साल की उम्र को प्राप्त नहीं कर लेते हैं यदि एक ही स्टेशन पर संगठन में कोई रिक्ति मौजूद है और कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है।

एक परिणाम;

23 अगस्त 2004 के ओ. एम. 1 4 14 द्वारा यह नोट किया गया था कि 3 अप्रैल 1986 और 12 जून 1997 के ओ. एम. एस. में निहित निर्देशों का मंत्रालयों और विभागों द्वारा अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा था।

क्षेत्रों और जीवन के सभी क्षेत्रों ": 8 जुलाई 2009 को एक ओ. एम. 1 5 जारी किया गया था जो दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।

" महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण ", इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुए कि" महिला कर्मचारी अपने परिवार के साथ-साथ अपने कार्यस्थल पर भी सकारात्मक भूमिका निभाती हैं "। ओ. एम. के अनुलग्नक में संघ द्वारा तैयार की गई नीतियों का सारांश दिया गया है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और

वे उसी समय पति-पत्नी की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान था

स्टेशन। उस संदर्भ में, अनुलग्नक में कहा गया है:

" पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करना। सरकार. भारत सरकार ने अपने कार्यालयों को पति और पत्नी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

2 / 97 - ऐसा है। (ए) नई दिल्ली

3 / 2004 - ऐसा है। (ए)/2009-ऐसा है। (एल)

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एक ही स्टेशन ताकि वे एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीने में सक्षम हो सकें और शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित कर सकें उनके बच्चे (ओ. एम. No.28034/2/27-अनुमान-ए दिनांकित

3.4.1986 & 12.6.1997) .

एक ही स्टेशन में जोड़ों की पोस्टिंग की सुविधा के लिए, यह मंजूरी दी गई है कि एक महिला अधिकारी के मामले में जिसका पति सरकार के तहत तैनात है। भारत में, 'कूलिंग ऑफ' अवधि का मूल्यांकन छह महीने तक किया जा सकता है ताकि उसे उस स्टेशन पर पोस्टिंग मिल सके जहां उसका पति है।

पोस्ट किया गया "।

30 सितंबर 2009 के एक ओ. एम. 1,6 द्वारा, पहले के दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि जब दोनों

पति-पत्नी केंद्र सरकार में हैं या उसी में काम करते हैं

विभाग और यदि पद उपलब्ध हैं, तो उन्हें हमेशा एक साथ तैनात किया जाना चाहिए। ओ. एम. के पैराग्राफ 5 में कहा गया है किः

" 5. कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि भले ही पति या पत्नी की नियुक्ति के स्थान पर पद उपलब्ध हों, प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कर्मचारियों को समायोजित नहीं करते हैं। ऐसे सभी मामलों में, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण को प्रयास करना चाहिए

कर्मचारी को जीवनसाथी के स्टेशन पर तैनात करें और ऐसा करने में असमर्थता के मामले में, विशिष्ट कारणों के बारे में कर्मचारी को सूचित किया जा सकता है।

31 दिसंबर 2010 के एक ओ. एम. 1 7 द्वारा, दिशानिर्देश थे

संशोधन या छूट के लिए अधिसूचित भर्ती के नियम।

राजस्व विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रविभाग द्वारा निम्नलिखित परिपत्र जारी किए गए हैं

आई. सी. टी. के संबंध मेंः

13 मई 1998 को राजस्व मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्तों को अंतर-आयुक्तालय के विषय पर एक परिपत्र जारी किया गया था।

स्थानांतरण। परिपत्र में कहा गया था किः

034 / 9 / 2009 - ऐसा है। (ए)

17 / 48 / 2010 - अनुमान. (आर. आर.)

015/11/98 विज्ञापन.

आई. आई. ए. औसद रहमान और ओ. आर. एस. वी. यूनियन ऑफ इंडिया आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" बोर्ड द्वारा अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण के मुद्दे पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में कुल डी. पी. कोटा रिक्तियों में से केवल 75 प्रतिशत को अंतर-आयोग द्वारा भरा जाना चाहिए। सी. सी. ई, दिल्ली द्वारा स्थानांतरण।

2.यह भी निर्णय लिया गया है कि एक समिति का गठन किया जा सकता है जो मामले पर पूरी तरह से विचार करने के बाद अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण पर निर्णय ले सकती है।

आम तौर पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। समिति कठिनाई के मामलों पर भी विचार कर सकती है, जैसे कि युगल मामले, "चिकित्सा आपातकालीन मामले" और अन्य मामले जैसे "केवल

एस [ओ] एन "योग्यता के आधार पर" माता-पिता से अलग है।

16 जनवरी 2003 को एक परिपत्र 1 9 जारी किया गया था राजस्व विभाग के लिए:

(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त; (ख) सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त; और

(3 (ग)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के आयुक्त।

परिपत्र ने अधिसूचित किया कि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सभी

संबंधित द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ

अब से सी. सी. ए. के रूप में आयुक्तों का प्रयोग किया जाएगा।

संबंधित मुख्य आयुक्तों द्वारा। हालांकि, यह निर्धारित किया गया था कि मौजूदा कैडरों का कोई विलय या विभाजन नहीं होगा और प्रत्येक सीसीए के कार्य होंगे

प्रमुख द्वारा अलग से और स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाए कमिश्नर। इसलिए, यह निर्धारित किया गया था कि इसका प्रभाव यह होगा कि प्रत्येक संवर्ग की स्वतंत्र इकाई अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रहेगी।

19 फरवरी 2004 को राजस्व विभाग ने आई. सी. टी. को बंद करने के लिए अन्य लोगों के साथ-साथ सभी मुख्य आयुक्तों और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों को एक पत्र। परिपत्र में कहा गया है कि आई. सी. टी. समूह 'बी', 'सी' और 'डी' के लिए हो रहे थे।

अनुकंपा के आधार पर कर्मचारी। हालांकि, आई. सी. टी. लंबे समय तक प्रशासनिक कठिनाइयों का कारण बना

मुकदमेबाजी। बोर्ड द्वारा मामले की समीक्षा की गई और यह

निर्देश दिया गया था कि:

11013 / 04 / 2002 - Ad.IV 15 / 3 / 2004 - विज्ञापन।

एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

" तदनुसार, पिछले सभी निर्देशों के स्थान पर

अतीत में इस विषय पर जारी किया गया, यह निर्णय लिया गया है कि

अब से कोई अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण नहीं होगा।

समूह बी, सी, डी के किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति। इसके बजाय, के गुणों के आधार पर असाधारण परिस्थितियाँ

प्रत्येक मामले में जहां अत्यधिक अनुकंपा के आधार पर ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करना आवश्यक माना जाता है, ऐसे स्थानान्तरण

तीन की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणीय संवर्ग नियंत्रण अधिकारियों के अनुमोदन के अधीन वर्ष। प्रतिनियुक्ति का और विस्तार आयुक्त द्वारा एक वर्ष तक की अवधि निर्धारित की जा सकती है।

और पारस्परिक सहमति [घ] के आधार पर संबंधित मुख्य आयुक्तों द्वारा एक वर्ष की और अवधि के लिए। इस तरह के तबादले

सी. बी. ई. सी. द्वारा 27 मार्च 2009 को एक परिपत्र जारी किया गया था। जिसे आई. सी. टी. पर पहले के प्रतिबंध में आंशिक रूप से ढील दी गई थी ताकि एक ही स्टेशन पर जीवनसाथी की पोस्टिंग को सुविधाजनक बनाया जा सके।

डी. ओ. पी. टी. के निर्देशों के अनुरूप "। सर्कुलर

विशेष रूप से दिनांक 3 अप्रैल 1986 के डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. को संदर्भित,

12 जून 1997 और 23 अगस्त 2004। परिपत्र, जहाँ तक

यह सामग्री नीचे निकाली गई है:

" मुझे बोर्ड के परिपत्र F.No.22015/3/2014-Ad.IIIA दिनांकित 19.02.2004 का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि दिनांकित 09.03.2004 पत्र द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार समूह बी, सी और डी के अधिकारियों के अंतर-आयुक्तालय स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालाँकि इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 'अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण' था, लेकिन प्रतिबंध था

वास्तव में एक संवर्ग से स्थानांतरण तक सीमित

प्राधिकरण को दूसरे को नियंत्रित करना। कोई प्रतिबंध नहीं था।

समान संवर्ग वाले आयुक्तालयों के बीच स्थानान्तरण पर, जहां वरिष्ठता का कोई नुकसान नहीं हुआ था शामिल , जैसा कि दिनांकित 09.03.2004 पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया था

ऊपर उल्लिखित।

15 / 19 / 2006 - Ad.IIIA हे रहमान और ओआरएस।

वी. यूनियन ऑफ इंडिया डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कि "एक पति और पत्नी, जहाँ तक संभव हो, और प्रशासनिक सुविधा की सीमाओं के भीतर, उसी स्टेशन पर तैनात "।

3. बोर्ड ने अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की

डी. ओ. पी. टी. के निर्देशों के अनुरूप एक ही स्टेशन पर पति और पत्नी की पोस्टिंग की सुविधा के लिए बोर्ड के पहले के निर्देशों में आंशिक रूप से ढील देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, अब समूह बी, सी और डी के अधिकारियों के अंतर-आयुक्तालय स्थानान्तरण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो सामान्य संवर्ग वाले आयुक्तालयों से परे हैं, यानी एक संवर्ग से।

वरिष्ठता के नुकसान के बिना, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, दूसरे को प्राधिकरण नियंत्रित करनाः -

(क) संवर्ग के स्थानांतरण/परिवर्तन की अनुमति केवल उन मामलों में होगी जहां पति/पत्नी के साथ काम किया जाता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

सरकार/राज्य सरकार। (ख) संवर्ग परिवर्तन के विकल्प का उपयोग प्रारंभिक नियुक्ति के छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

अधिकारी, यदि अधिकारी इस तरह की प्रारंभिक नियुक्ति के समय विवाहित है। प्रारंभिक मुलाकात के बाद होने वाली शादी के मामले में, विकल्प का उपयोग शादी के छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, जहां तक पिछले मामलों का संबंध है, इन निर्देशों के जारी होने के छह महीने के भीतर विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए।

4. संवर्ग परिवर्तन की प्रक्रिया वही होगी जो बोर्ड के दिनांकित निर्देशों में निर्धारित की गई है 19.02.2004 ऊपर निर्दिष्ट कैडर का परिवर्तन हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों की मंजूरी से होगा।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

बोर्डों की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी

यह उद्देश्य "।

27 अक्टूबर 2011 को सीबीईसी द्वारा एक परिपत्र 2 2 जारी किया गया था।

यह ध्यान में रखते हुए कि आई. सी. टी. पर प्रतिबंध जो द्वारा लगाया गया था समूह के लिए दिनांक 19 फरवरी 2004 का पूर्व संचार

2011. यह दर्ज किया गया कि इस तरह की छूट बिना अनुमति के दी गई थी वरिष्ठता का नुकसान और विशिष्ट शर्तों के अधीन। के द्वारा

सी. बी. ई. सी. ने सूचित किया कि उसने आई. सी. टी. पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। निर्धारित परिपत्र का पैरा 2

इस प्रकार हैः

" 2. आई. सी. टी. के मामले में सभी पहलुओं पर विचार करने पर, बोर्ड द्वारा अब आई. सी. टी. पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, कोई भी इच्छुक समूह 'बी' सी 'कर्मचारी और पूर्ववर्ती समूह' डी 'कर्मचारी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सी. सी. ए.) से दूसरे संवर्ग का अधिकार क्षेत्र। सी. सी. ए. रिक्तियों की उपलब्धता और निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीनः

आई. संबंधित दो संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों को स्थानांतरण के लिए सहमत होना चाहिए, ii. हस्तांतरणकर्ता को सभी अधिकारियों से नीचे रखा जाएगा।

डी. ओ. पी. एंड टी. के जी. एम. दिनांक 03.07.1986 के पैरा 3 के अनुसार स्थानांतरण के आधार पर अपनी नियुक्ति की तारीख को उस बर्तन/श्रेणी में नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा हस्तांतरणकर्ता उन लोगों से कनिष्ठ होगा उनके स्थानांतरण से पहले नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी।

हालांकि, इस तरह के स्थानांतरित अधिकारी अपने लिए मूल आयुक्तालय की अपनी पात्रता बनाए रखेंगे।

अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति, आदि।

iii. स्थानांतरण पर उसके लिए विचार नहीं किया जाएगा।

पुराने आयुक्तालय में पदोन्नति।

15 / 23 / 2011 - Ad.IIIA हे रहमान और ओआरएस।

वी. यूनियन ऑफ इंडिया डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

स्थानांतरण यात्रा भत्ता; वी. किसी भी परिस्थिति में आई. सी. टी. के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए।

परिवीक्षा अवधि। vi. जिन अधिकारियों को अनुमति दी गई थी उनकी वरिष्ठता

आई. सी. टी. पहले विभिन्न संवर्ग नियंत्रण द्वारा

बोर्ड के पत्रों के आधार पर अधिकारी

एफ. नं. A.22015/11/2008-Ad.III.A दिनांक 29.07.2009 और एफ. नं. A.22015/15/2010-Ad.IIIA

दिनांकित 09.02.2011

वर्तमान निर्देशों के अनुसार तय किया जाएगा। vii. अधिकारी जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं

उनके मूल आयुक्तालय से किसी अन्य को आधार

आयुक्तालय/निदेशालय और लाभ उठाने के इच्छुक हैं

मूल आयुक्तालय पहले और नए सिरे से आवेदन करें आईसीटी। अधिकारी जो लगातार काम कर रहे हैं

प्रतिनियुक्ति और आई. सी. टी. पर अवशोषित किए गए हैं

19.02.2004 से अंतरिम अवधि (यानी तारीख से

जो प्रतिबंध प्रभावी हो गया) आज तक, उनके

स्थानांतरित क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर / आयुक्तालय।

viii. एक लिखित वचन (संलग्न प्रारूप में) अपेक्षित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए

वास्तव में प्रभावित। ix. सभी लंबित अदालती मामले जहां वरिष्ठता संरक्षण /

आई. सी. टी. को चुनौती दी गई है जिसे संभाला जा सकता है

बोर्ड को देय में प्रस्तुत आवश्यक अनुपालन बेशक "।

सितंबर 2018 में, सी. बी. आई. सी. ने एक परिपत्र जारी किया (इस फैसले में पहले निकाला गया) जिसमें कहा गया था किः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. आर. 2016 में अवशोषण द्वारा भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।

(अ)

(ख)

आर. आर. 2016 के नियम 5 में कहा गया है कि प्रत्येक सी. सी. ए. का अपना होगा

अपना अलग कैडर रखें जब तक कि सीबीईसी द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए;

((ग)

आर. आर. के नियम 4 (ii) के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है।

2002 आर. आर. 2016 के नियम 5 में;

€ (घ) आर. आर. 2016 के विपरीत कोई भी कार्यकारी निर्देश होगा

शून्य;

(ई)

आर. आर. 2016 के लागू होने के बाद, कोई सक्षम नहीं है आई. सी. टी. अनुदान के लिए प्रावधान;

(च)

असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारी हो सकते हैं अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण के आधार पर अंतरित, जिसे दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है; और

26 को या उसके बाद जारी निरीक्षकों के ग्रेड में सभी आई. सी. टी.

(जी)

दिसंबर 2016 को वापस ले लिया जाएगा और उन कर्मचारियों को ऋण के आधार पर माना जाएगा।

सी प्रस्तुतियाँ

12. हमने श्री मनिंदर सिंह, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, एन रवींद्रन, श्री नरेंद्र हुड्डा और श्री राणा मुखर्जी, वरिष्ठ स्वयं को अपीलों और हस्तक्षेप आवेदनों के समर्थन में सुना है और श्री

कपूर और श्री उमाकांत मिश्रा, विद्वान वकील जिन्होंने गोद लिया है

प्रस्तुतियाँ। श्री के. एम. नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल 2 3 ने

उत्तरदाताओं की ओर से।

13. वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने आग्रह किया है कि

विंग प्रस्तुतियाँः

((i)

केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने फैसला सुनाया है

कि आर. आर. 2016 में आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) के प्रावधानों को शामिल नहीं करने के साथ, आई. सी. टी. की अनुमति नहीं है। हालाँकि, आर. आर. 2016 का नियम 5 जो निर्धारित करता है कि प्रत्येक सी. सी. ए

एक अलग कैडर है, विचार करता है कि सीबीईसी कर सकता है

अन्यथा प्रदान करें;

((ख)

27 अक्टूबर 2011 के सीबीईसी के निर्देशों ने प्रतिबंध हटा दिया।

आई. सी. टी. जो 19 फरवरी 2004 को लागू किए गए थे;

(iii)

आई. सी. टी. पर प्रतिबंध हटाने का सी. बी. ई. सी. का निर्णय होना चाहिए

एक ऐसे निर्णय के रूप में माना जाता है जो इस मानदंड को शिथिल करता है कि प्रत्येक सी. सी. ए. का एक अलग संवर्ग होगा; और

जी "औसद रहमान और ओआरएस। वी. भारत का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

20 सितंबर 2018 के परिपत्र का मूल आधार यह है कि आर. आर. 2016 में अवशोषण द्वारा भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। यह आधार गलत है क्योंकि आर. आर. 2016 के नियम 5 में आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) को शामिल नहीं करने के बाद भी बोर्ड ने 'अन्यथा' निर्देश जारी करने की अपनी शक्ति बरकरार रखी है और बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र को ऐसी शक्ति का प्रयोग माना जाना चाहिए।

क्या विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने संबोधित किया है

दो व्यापक मुद्देः

क्या आर. आर. 2016 आई. सी. टी. पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है; और

क्या 20 सितंबर 2018 का परिपत्र जो

आई. सी. टी. पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना इसका उल्लंघन है

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार।

इस मखीजा ने "पति-पत्नी के आधार" पर किए गए आवेदनों के लिए आई. सी. टी. पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस पृष्ठभूमि में,

वरिष्ठ वकील ने आग्रह कियाः

आई. सी. टी. एस. के लिए आर. आर. 2016 में एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी ओ. एम. प्रत्यायोजित कार्यों में कमियों को भरेंगे।

कानून। इसलिए, इसके विपरीत एक विशिष्ट नियम के अभाव में, डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी ओ. एम. केंद्र सरकार की सेवा को तब तक नियंत्रित करेंगे जब तक कि विशेष रूप से एक विनियामक प्रावधान। डी. ओ. पी. टी. की एक ही स्टेशन पर जीवनसाथी की नियुक्ति के लिए एक दीर्घकालिक नीति है। जबकि आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) में आई. सी. टी. के लिए एक विशिष्ट प्रावधान था,

आर. आर. 2016 में कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। एक विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति स्थिति को नहीं बदलेगी;

आई. सी. टी. एस. डी. ओ. पी. टी. और राजस्व विभाग के ओ. एम./परिपत्रों द्वारा शासित होते थे। आर. आर. 2016 तैयार करते समय बोर्ड ने डी. ओ. पी. टी. को प्रस्ताव भेजा गया और डी. ओ. पी. टी. ने आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) को इस आधार पर शामिल नहीं करने की मंजूरी दी कि ऐसा प्रावधान आम तौर पर भर्ती नियमों में नहीं किया जाता है।

इस पृष्ठभूमि से, यह स्पष्ट हो जाता है कि आर. आर. 2016 तैयार करते समय नियम 4 (ii) को शामिल न करने की अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि प्रस्तावित नियमों में अनुकंपा और पति-पत्नी के आधार पर आई. सी. टी. के लिए किसी निषेध की आवश्यकता नहीं थी।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

2004, 2009 और 2011 में बोर्ड के परिपत्रों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि समूह बी, सी और डी के कर्मचारियों के संबंध में आई. सी. टी. कभी भी निम्नलिखित विषयों का विषय नहीं रहे हैं -

भर्ती नियम और के क्षेत्र में आते हैं प्रशासनिक निर्देश। एक बार आई. सी. टी. को नियंत्रित किया गया

कार्यकारी निर्देशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है कि आर. आर. 2016 में आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) के अनुरूप प्रावधान की अनुपस्थिति आई. सी. टी. पर रोक लगाएगी। चूंकि आर. आर. 2016 आई. सी. टी. एस. के संबंध में मौन है,

इस तरह के हस्तांतरण प्रशासनिक निर्देशों के दायरे में रहते हैं।

भारत सरकार (व्यापार लेनदेन नियम) 1961 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में, डीओपीटी और राजस्व विभाग की नीति के बीच किसी भी संघर्ष को केंद्रीय सेवाओं की भर्ती, सेवा शर्तों और संवर्ग प्रबंधन के मामलों में डीओपीटी को प्रधानता देकर हल करना होगा। 20 सितंबर 2018 का परिपत्र डीओपीटी की मंजूरी के बिना लागू किया गया था और इसलिए यह भारत सरकार (व्यापार लेनदेन नियम) 1961 के विपरीत है।

आई. सी. टी. पर प्रतिबंध लगाने वाला 20 सितंबर 2018 का परिपत्र दो स्तरों पर भेदभाव लाकर संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हैः

(क) यह समूह 'क' और समूह 'ख'/के बीच भेदभाव करता है।

' सी 'कर्मचारी;

(ख)

यह अन्य सेवाओं के साथ भेदभाव करता है

केंद्र सरकार जिसे डी. ओ. पी. टी. परिपत्र जारी करती है

आवेदन करें;

विवादित परिपत्र के परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष भेदभाव होता है और संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) और एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. के तहत महिलाओं को गारंटीकृत अवसर की समानता से इनकार किया जाता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(viii) आई. सी. टी. पर प्रतिबंध लगाने वाला परिपत्र एक एकीकृत व्यवस्था को संतुष्ट नहीं करता है।

आनुपातिक विश्लेषण।

16. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने आग्रह किया कि

आर. आर. 2016 तैयार करते समय आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) के अनुरूप प्रावधान को शामिल न करने का परिणाम यह है कि आई. सी. टी. को प्रभावित करने की शक्ति जो आयुक्तालय को दी गई थी, अब बोर्ड को सौंपी गई है। यद्यपि आयुक्तालय स्तर से शक्ति छीन ली गई थी, फिर भी यह बोर्ड के पास निहित है।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एन. रवींद्रन ने प्रस्तुत किया किः

((i)

20 सितंबर 2018 का परिपत्र एकल पर आगे बढ़ता है

इस आधार पर कि आई. सी. टी. के लिए आर. आर. 2016 में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आई. सी. टी. हमेशा कार्यकारी निर्देशों द्वारा शासित रहे हैं;

((ख)

केरल केंद्रीय प्रशासनिक के निर्णय के बाद

न्यायाधिकरण, आई. सी. टी. के लिए एक प्रावधान जारी किया गया था लेकिन इसे मुश्किल से एक सप्ताह के दौरान रद्द कर दिया गया था; और

आर. आर. 2016 तैयार करते समय नियम 4 (ii) को शामिल नहीं किया गया था।

(iii)

इस आधार पर कि ऐसा प्रावधान आम तौर पर भर्ती नियमों में नहीं किया जाता है। इसलिए, आर. आर. 2016 में पूर्ववर्ती नियम 4 (ii) को शामिल न करने का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं होगा।

18. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरेंद्र हुड्डा ने आग्रह किया है किः

20 सितंबर 2018 का परिपत्र इस सलाह की अनदेखी करता है कि

((i)

डी. ओ. पी. टी.-जिसके कारण नियम 4 (ii) को शामिल नहीं किया गया-केवल यह था कि इस तरह की शर्त में एक अधिशेष आयु थी भर्ती के नियम;

((ख)

आर. आर. 2016 के तहत, कैडर की 90 प्रतिशत संख्या प्रत्यक्ष के लिए है।

भर्ती। चूँकि एक आई. सी. टी. प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के खिलाफ है, इसलिए कोई भी पदोन्नति के रास्ते प्रभावित नहीं होते हैं; और

(iii)

1958 से आई. सी. टी. हमेशा कार्यकारी द्वारा शासित रहे हैं।

निर्देश दिए।

19. श्री राणा मुखर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील

हस्तक्षेप करने वालों की ओर से प्रस्तुत किया गया कि वैकल्पिक रूप से, यदि यह न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखता है, तो यह कम से कम व्यक्तियों की सुरक्षा कर सकता है जिनका स्थानांतरण आर. आर. 2016 के अधिसूचित होने के बाद भी हो चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. सुश्री मखीजा द्वारा आग्रह किए गए तर्कों को स्वीकार कर लिया गया है ईशी कपूर जबकि श्री उमाकांत मिश्रा ने तर्कों को अपनाया है।

- मनिंदर सिंह।

21. उत्तरदाताओं की ओर से श्री के. एम. नटराज को पता चला कि ए. एस. जी. ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत कीं:

((i)

कोई भी कर्मचारी मौलिक अधिकार या निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

स्थानांतरण का अधिकार। सेवा की शर्त के रूप में स्थानांतरण हमेशा एक ऐसा मामला होता है जो लागू नियमों द्वारा नियंत्रित होता है।

((ख)

आर. आर. 2002 का नियम 4 यह निर्धारित करते हुए कि प्रत्येक

आयुक्तालय का एक अलग संवर्ग होगा जिसमें नियम 4 (ii) में एक विशिष्ट प्रावधान होगा, जो एक आयुक्तालय के संवर्ग से दूसरे में विलय की अनुमति देता है। आयुक्तालय;

आर. आर. 2016 के नियम 5 में एक विशिष्ट शर्त है कि

(iii)

प्रत्येक सी. सी. ए. के लिए एक अलग संवर्ग होगा।

((iv) एक संवर्ग का अर्थ है एक निश्चित स्वीकृत शक्ति जो बताई गई है।

अलग इकाई में;

(v)

आर. आर. 2016 के नियम 5 में एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में

किसी व्यक्ति को एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में अवशोषित करके लाने के लिए, संवर्ग के बाहर के व्यक्ति को अवशोषित करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है;

(vi) जब आर. आर. 2016 बनाया गया था, तब नियम 4 (ii) को शामिल नहीं किया गया था, जिसे एक विशिष्ट शरारत पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। आई. सी. टी. एस. के प्रावधान का

कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, उदाहरण के लिए, पदोन्नति की मांग करने और वापस करने के उद्देश्य से

मूल संवर्ग;

(vii) एक संवर्ग और संवर्ग संख्या की पूरी अवधारणा को नकार दिया जाएगा यदि पूर्ववर्ती आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) जैसे सक्षम प्रावधान के अभाव में आई. सी. टी. की अनुमति दी जाती है। (viii) डी. ओ. पी. टी. परिपत्र सांविधिक नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं जिनके पास है -

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत तैयार किया गया है; और

(ix) आई. सी. टी. सहित किसी भी प्रकार का हस्तांतरण प्रदान करना नीति का विषय है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

22. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विश्लेषण के लिए पड़ेंगी।

एस. के. नौसाद रहमान और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डी विश्लेषण

23. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विश्लेषण करते समय, सेवा न्यायशास्त्र के कुछ बुनियादी उपदेशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 24. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अखिल भारतीय सेवा में स्थानांतरण सेवा की एक घटना है। क्या, और यदि ऐसा है, तो किसी कर्मचारी को कहाँ तैनात किया जाना चाहिए

ऐसे मामले जो सेवा की आवश्यकताओं द्वारा शासित होते हैं। एक कर्मचारी के पास अपनी पसंद के स्थानांतरण या नियुक्ति का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार या निहित अधिकार नहीं है। 25. दूसरा, स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी निर्देश और प्रशासनिक निर्देश स्थानांतरण या नियुक्ति का दावा करने का अक्षम्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुविधा प्रशासन की व्यापक आवश्यकताओं के अधीन है।

26. तीसरा, ऐसी नीतियाँ जो यह निर्धारित करती हैं कि पति-पत्नी की नियुक्ति अधिमानतः और यथासंभव उसी स्थान पर होनी चाहिए, प्रशासन की आवश्यकता के अधीन हैं। इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) बैंक ऑफ इंडिया बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोल रहे थे। जगजीत सिंह मेहता 2 4 गिरफ्तारः

" 5. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सामान्य रूप से और जहां तक संभव हो पति और पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए, भले ही उनके नियोक्ता अलग-अलग हों। इस तरह के पाठ्यक्रम की वांछनीयता स्पष्ट है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी नियुक्ति का स्थान हमेशा उनकी पसंद का होना चाहिए, भले ही प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते समय उनकी पसंद को ध्यान में रखा जा सके। अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में, दोनों को अलग-अलग स्टेशनों पर तैनात किए जाने से होने वाली कठिनाई अपरिहार्य हो सकती है, विशेष रूप से जब वे अलग-अलग सेवाओं से संबंधित हों और उनमें से एक को दूसरे की पोस्टिंग के स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता हो। कैरियर और एक विशेष सेवा का चयन करते समय, दंपति को इस कारक को ध्यान में रखना होगा और ऐसी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा यदि प्रशासनिक आवश्यकताएं और स्थानांतरण नीति प्रशासन की आवश्यकताओं और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकताओं का त्याग किए बिना दोनों को एक ही स्थान पर तैनात करने की अनुमति नहीं देती है। ऐसे मामले में दंपति को करियर की संभावनाओं और पारिवारिक जीवन के बीच अपनी पसंद चुननी होती है। वरीयता देने के बाद

स्थानांतरण की घटना के साथ अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति भारत में किसी भी स्थान पर, एक स्टेशन पर एक साथ रहने वाले जोड़े की आवश्यकता को कम करते हुए, वे अखिल भारतीय सेवा की सामान्य घटनाओं से मुक्त होने का सही दावा नहीं कर सकते हैं और स्थानांतरण से बच सकते हैं।

इस आधार पर एक अलग स्थान कि पति-पत्नी को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा। [.....] इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिशानिर्देशों में दोनों पति-पत्नियों को यथासंभव एक स्थान पर तैनात करने की आवश्यकता है, लेकिन यह किसी भी पति-पत्नी को इस तरह की पोस्टिंग का दावा करने में सक्षम नहीं बनाता है यदि विभागीय अधिकारी इसे संभव नहीं मानते हैं। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों को प्रशासन की आवश्यकताओं के साथ-साथ इस पहलू पर विचार करना चाहिए और यदि संभव हो तो दोनों पति-पत्नी को एक स्टेशन पर एक साथ रहने में सक्षम बनाना चाहिए, बिना किसी प्रशासनिक जरूरतों को नुकसान पहुँचाए और

अन्य कर्मचारियों का दावा।

27. उपरोक्त सिद्धांत को भारत संघ अब्बास 25 में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था, जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना हैः

" 7. किसे कहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यह उचित प्राधिकारी को तय करना है। जब तक स्थानांतरण के आदेश को दुर्भावना से दूषित नहीं किया जाता है या किसी भी वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। स्थानांतरण का आदेश देते समय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण को इस विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने स्थानांतरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन देता है, तो उपयुक्त प्राधिकारी को प्रशासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस पर विचार करना चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जहां तक संभव हो, पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए। हालाँकि उक्त दिशानिर्देश सरकारी कर्मचारी को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करता है।

28. चौथा, भर्ती और शर्तों पर लागू मानदंड

सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों का सीई निम्न में निर्धारित किया जा सकता हैः

सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित एक कानून;

(@ i) (ii) (@iii)

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम; और

) अनुच्छेद 73 के तहत जारी किए गए कार्यकारी निर्देश

संघ के अधीन सिविल सेवाओं के मामले में संविधान और राज्यों के अधीन सिविल सेवाओं के मामले में अनुच्छेद 162।

3) 4 एस. सी. सी. 357 एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाया गया, कानून प्रबल होता है। जहां नियम कंकाल हैं या ऐसी स्थिति में जब नियमों में अंतर है, कार्यकारी निर्देश नियमों में जो कहा गया है, उसके पूरक हो सकते हैं। 26 29. छठा, संघ को संविधान के अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में लिया गया एक नीतिगत निर्णय

राज्य उन भर्ती नियमों के अधीन हैं जो एक विधायी अधिनियम या संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए हैं। 27

30. आर. आर. 2002 नियम 4 ए "विशेष प्रावधान" में निहित है। नियम 4 (i) में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक आयुक्तालय का अपना अलग संवर्ग होगा।

जब तक कि अन्यथा सी. बी. ई. सी. द्वारा निर्देशित न हो। नियम 4 (ii) आन-अब्स्टैंट प्रावधान के साथ शुरू हुआ जिसके संदर्भ में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य आयुक्तालय को यह आदेश देने का अधिकार था कि -

आयुक्तालय में पद किसी अन्य संवर्ग से संबंधित समान या तुलनीय पद धारण करने वाले व्यक्तियों के समावेशन से भरा जा सकता है।

आयुक्तालय में पद को समान या तुलनीय पद धारण करने वाले लेकिन किसी अन्य आयुक्तालय के संवर्ग से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरा जाना चाहिए। 31. आर. आर. 2016 में, जैसा कि अधिसूचित किया गया है, नियम 5 में कहा गया है कि प्रत्येक सी. सी. ए. का अपना अलग संवर्ग होगा, जब तक कि सी. बी. ई. सी. द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए। पूर्ववर्ती नियम 4 (ii) में 'आयुक्तालय' को आर. आर. 2016 के नियम 5 में 'संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण' अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। द.

नियम 5 का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि प्रत्येक के लिए एक अलग संवर्ग होगा।

26 भारत संघ और अन्य बनाम। सोमसुंदरम विश्वनाथ और अन्य (1989) 1 एस. सी. सी. 175, पैरा 6

27 उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम। प्रसना कुमार साहू (2007) 15 एस. सी. सी. 129, पैरा 12 [2022] 12 एस. सी. आर.

सी. सी. ए. और केवल सी. बी. ई. सी. को अन्यथा निर्देश देने का अधिकार सौंपा गया है। इसलिए केवल सी. बी. ई. सी. ही एक से अधिक आयुक्तालयों के लिए एक संयुक्त संवर्ग के गठन का निर्देश दे सकता है। आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) में अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य आयुक्तालय को जो सक्षम करने की शक्ति प्रदान की गई थी, वह आर. आर. 2016 के नियम 5 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। केंद्रीय प्रस्तुति

अपीलार्थी की ओर से जो आग्रह किया गया है वह यह है कि चूंकि आर. आर. 2016 में आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी अन्य आयुक्तालय के संवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के समावेशन के विषय पर मौन है और इस मौन या अंतराल को पूरा किया जा सकता है।

कार्यकारी निर्देशों द्वारा। यह प्रस्तुत किया गया था कि कार्यकारी निर्देश वे होंगे जो डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी किए गए ओ. एम. या राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों में सन्निहित हैं। 32. निवेदन में एक मौलिक भ्रांति है जिसका आग्रह अपीलार्थियों की ओर से किया गया है। प्रशासनिक निर्देश, जो अच्छी तरह से तय किए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को इस तरह से पूरक कर सकते हैं जिससे कोई विसंगतियां न हों। कार्यकारी निर्देश नियमों में कमियों को भर सकते हैं।

लेकिन प्रशासनिक या कार्यकारी निर्देशों की सहायता से नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करना व्यक्त प्रावधान या प्रावधान के विपरीत प्रशासनिक निर्देशों की सहायता लेने से अलग है।

अनुच्छेद के तहत बनाए गए नियमों का आवश्यक इरादा

309. आरआर 2016 को अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है। आर. आर. 2016 के नियम 5 में एक विशिष्ट नुस्खा है जो प्रत्येक सी. सी. ए. के पास होगा।

अपना अलग कैडर। आयुक्तालय में किसी अन्य आयुक्तालय के संवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के समावेशन द्वारा किसी पद को भरने के प्रावधान की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि संवर्ग को एक नियुक्ति इकाई के रूप में माना जाता है और संवर्ग के बाहर के किसी व्यक्ति को शामिल करने का कोई अवसर नहीं है जो समान या तुलनीय पद रखता है।

33. जे. एस. यादव बनाम यूपी 28 राज्य, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति 'कैडर' आम तौर पर 'की ताकत को दर्शाता है

एक अलग इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा या सेवा का एक हिस्सा। इसमें किसी विशेष सेवा में ग्रेड के संदर्भ में स्वीकृत शक्ति भी शामिल है। संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों में बनाए गए अस्थायी, अतिरिक्त और छाया पद भी शामिल हो सकते हैं। हाल ही में, जरनैल सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ। लक्ष्मी नारायण गुप्ता2 9,

28 (2011) 6 एस. सी. सी. 570

29 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 96 एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ई अभिव्यक्ति 'कैडर' के दायरे से संबंधित है जो विभिन्न उच्चारणों को संदर्भित करता है। पीठ ने कहाः

" 24. [.....] इस न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न विवाद

डॉ. चक्रधर पासवान बनाम। बिहार राज्य [(1988) 2 एससीसी

214] बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के स्वदेशी चिकित्सा निदेशालय में निदेशक और तीन उप-निदेशकों के पदों को इस उद्देश्य के लिए एक साथ समूहीकृत किया जा रहा है -

संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण नीति को लागू करना।

भारत का संविधान। [.....] यह माना गया था कि "कैडर" शब्द का सेवा न्यायशास्त्र में एक निश्चित कानूनी अर्थ है। यह न्यायालय

मौलिक नियम 9 (4) को संदर्भित किया गया है जो "संवर्ग" शब्द को किसी सेवा की ताकत या स्वीकृत सेवा के हिस्से के रूप में परिभाषित करता है।

एक अलग इकाई के रूप में। [...]

25. [...] "संवर्ग" का अर्थ भारत संघ बनाम में फिर से इस न्यायालय के विचार के लिए पड़ा। पुष्प रानी [(2008) 9 एस. सी. सी. 242] "। रेलवे स्थापना संहिता के 1985 के संस्करण में कैडर को किसी सेवा की ताकत या किसी सेवा के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है।

एक अलग इकाई के रूप में स्वीकृत। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पद

विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत स्वतंत्र संवर्गों का गठन करेंगे, यहां तक कि रोस्टर को लागू करने के उद्देश्य से भी। इसका कारण "कैडर" शब्द का एक बड़ा अर्थ यह था कि पद

रेलवे प्रतिष्ठान में संदर्भ के साथ स्वीकृत हैं

ग्रेड। यहाँ तक कि अस्थायी, कार्य-प्रभारित, अतिरिक्त और

विभिन्न श्रेणियों में बनाए गए छाया पद इसका हिस्सा हो सकते हैं

कैडर।

[.....]

28. यह उपरोक्त वैधानिक व्यवस्था और निर्धारित कानून से स्पष्ट है। इस न्यायालय द्वारा कहा गया है कि सरकार के तहत सिविल पद हैं

संघ और राज्यों के तहत सेवाएं समान हैं। भारत संघ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए संवर्गों का गठन किया जाता है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, भारत संघ प्रस्तुत किया कि 44 मंत्रालयों/विभागों में 3800 कैडर हैं।

मौलिक नियम 9 (4) "संवर्ग" को [2022] 12 एस. सी. आर. के अर्थ में परिभाषित करता है।

एक सेवा की शक्ति या एक के रूप में स्वीकृत सेवा का हिस्सा

अलग इकाई। कैडरों का गठन करना किसी राज्य का निर्णय होता है।

पूरी सेवा को एक संवर्ग नहीं माना जा सकता है

एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति का उद्देश्य

ग्रेड। पदोन्नति एक श्रेणी से अगली उच्च श्रेणी में की जाती है,

जिनके संबंध में संवर्गों का गठन किया जाता है। इस न्यायालय में डॉ।

चक्रधर पासवान (ऊपर) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि

निदेशक और उप निदेशक का पद एक संवर्ग नहीं बना सकता है। ए.

कैडर का गठन सरकार द्वारा ध्यान में रखते हुए किया जाता है अपने विवेकाधिकार के भीतर कई कारक "।

(जोर दिया गया)

34. आर. आर. 2016 के नियम 5 में कहा गया है कि प्रत्येक सी. सी. ए. का एक अलग नियम है।

संवर्ग और इसमें अवशोषण के माध्यम से लाने का प्रावधान नहीं है,

संवर्ग के बाहर के व्यक्ति। अवशोषण द्वारा संवर्ग के बाहर से व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अधीनस्थ कानून में एक विशिष्ट प्रावधान की आवश्यकता होती है क्योंकि एक संवर्ग की अवधारणा अन्यथा संवर्ग के बाहर के लोगों को लाने के खिलाफ होगी। यही कारण है कि पूर्ववर्ती आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) में इस आशय का एक विशिष्ट प्रावधान था। हालाँकि उस प्रावधान को तब शामिल नहीं किया गया था जब आर. आर. 2016 था।

फ्रेम किया गया। यदि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति सौंपे गए प्राधिकरण ने इस आधार पर ऐसा किया कि

दुरुपयोग के अधीन था और प्रशासन के हितों के विपरीत था, कोई भी कर्मचारी आई. सी. टी. का दावा करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

35. एक अन्य प्रस्तुति जिसका पक्ष से आग्रह किया गया है

अपीलार्थी भारत सरकार (कार्य-व्यवहार) नियम 1961 पर आधारित हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 77 (3) के अनुसार बनाए गए हैं। नियम 4 (4) निर्दिष्ट मामलों पर डी. ओ. पी. टी. के साथ परामर्श का प्रावधान करता है और निम्नानुसार हैः

सहमति दी है, या, इस तरह की सहमति में विफल रहने पर, उस पर कोई निर्णय लिया है मंत्रिमंडल द्वारा या उसके अधिकार के तहत लिया गया है।

स्पष्टीकरण-प्रत्येक मामला जिसमें निर्णय लिया जाता है, यदि एक में लिया जाता है

विभाग, एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. को आवंटित व्यवसाय के लेन-देन को प्रभावित करने की संभावना है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

किसी अन्य विभाग के लिए, एक ऐसा मामला माना जाएगा जिसका विषय एक से अधिक विभागों से संबंधित है।

(2) जब तक मामला पूरी तरह से मंजूरी देने की शक्तियों द्वारा कवर नहीं किया जाता है

वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय या उपयुक्त या पुनः उपयुक्त निधियों के लिए कोई भी विभाग वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जो - (क) राजस्व का कोई परित्याग शामिल है या कोई ऐसा व्यय शामिल है जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का असाइनमेंट शामिल है या

(ग) पदों की संख्या या श्रेणी, या किसी सेवा की संख्या, या सरकारी कर्मचारियों के वेतन या भत्तों या उनकी सेवा की किसी अन्य शर्तों से संबंधित है जिसका वित्तीय प्रभाव पड़ता है; या

(घ) अन्यथा वित्तीय प्रभाव पड़ता है चाहे उसमें व्यय शामिल हो।

या नहीं;

((क) विधान के लिए प्रस्ताव; ((ख) सरकार को प्रदत्त वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सामान्य चरित्र के नियम और आदेश बनाना; और

(ग) सरकार द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुबंधों की तैयारी।

(4) जब तक मामला पूरी तरह से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पहले दिए गए निर्णय या सलाह द्वारा कवर नहीं किया जाता है, तब तक उस विभाग से [2022] 12 एस. सी. आर. से जुड़े सभी मामलों पर परामर्श किया जाएगा।

(क) सिविल रोजगार में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के तरीकों और सामान्य आवेदन की सेवा शर्तों का निर्धारण; और
(ख) सामान्य अनुप्रयोग के मौजूदा आदेशों की व्याख्या

ऐसी भर्ती या सेवा की शर्तों से संबंधित।

(5) जब तक मामला उस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों या सलाह द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं किया जाता है, विदेश मंत्रालय भारत के विदेशी संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर परामर्श किया जाएगा।

नियम 4 (4) के संदर्भ में, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के तरीकों और सामान्य आवेदन की सेवा की शर्तों के निर्धारण और भर्ती या सेवा की शर्तों से संबंधित सामान्य आवेदन के मौजूदा आदेशों की व्याख्या पर डीओपीटी से परामर्श किया जाना चाहिए।

36. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम 1961 भी संविधान के अनुच्छेद 77 (3) के तहत बनाए गए हैं। नियम 2 में परिकल्पना की गई है कि भारत सरकार का कार्य पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में किया जाएगा। नियम 3 के तहत, विषयों का वितरण दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। राजस्व विभाग को विषयों के वितरण में शामिल हैं:

" ग. राजस्व विभाग

(राजस्व विभाग)

1. संबंधित सभी मामले

(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड;
(ख) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

37. दूसरे शब्दों में, सीबीईसी और सीबीडीटी से संबंधित सभी मामले राजस्व विभाग को सौंपे गए थे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत डीओपीटी को सौंपे गए मामलों में शामिल हैं:

" ए. विभाग कर्मचारी और प्रशिक्षण

(कर्मिक और प्रार्थना विभाग)

औसद रहमान और ओआरएस। वी. यूनियन ऑफ इंडिया आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

I. सेवाओं की प्राप्ति, संवर्धन और नैतिकता

[... .]

2. विभाग के नियंत्रण में रेलवे सेवाओं और सेवाओं को छोड़कर केंद्रीय सेवाओं से संबंधित भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता से संबंधित सामान्य प्रश्न

परमाणु ऊर्जा, पूर्ववर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएँ।

[.....]

18. अपने नियंत्रण में विभिन्न संवर्गों के उचित प्रबंधन पर मंत्रालयों को सलाह देना।

[.....]

IV. सेवा शर्तें 21. सामान्य प्रश्न (उन प्रश्नों के अलावा जिनके पास एक

रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में सेवाओं के संबंध में को छोड़कर अखिल भारतीय और संघ लोक सेवाओं से संबंधित आचरण नियमों सहित वित्तीय असर।)

22. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें (रेलवे विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पूर्ववर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में आने वाले लोगों और इसके तहत आने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों को छोड़कर

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, वित्तीय असर रखने वालों के अलावा और जहां तक वे सामान्य सेवा हितों के मुद्दे उठाते हैं)।

23. (क) एफ. आर. एस. आर. और C.S.Rs (लेकिन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नियमों को छोड़कर) सहित सभी सेवा नियमों का प्रशासन।

वेतन संरचना में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव

((i)

कर्मचारी;

[2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्रीय वेतनमान में संशोधन के लिए प्रस्ताव

((ख)

सरकारी कर्मचारी;

((ग) वेतन आयोग की नियुक्ति, सिफारिशों की प्रक्रिया और उनका कार्यान्वयन।

महँगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक

((iv)

भत्ते और यात्रा भत्ते;

(v)

सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई नई सुविधा

सेवा शर्तों या सीमांत लाभों के बारे में जिसमें महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं; और सेवा नियमों में संशोधन से संबंधित मामले

(vi)

मुख्य रूप से वित्तीय चरित्र होना; [.] "

38. निस्संदेह, जबकि सीबीईसी से संबंधित सभी मामले और

सी. बी. डी. टी. राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, डी. ओ. पी. टी. को सौंपे गए विषयों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण होना चाहिए। वास्तव में, एक सामंजस्यपूर्ण पढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, जैसे कि हम भारत सरकार (व्यापार लेनदेन) नियम 1961 के नियम 4 (4) में पहले देख चुके हैं, जिसमें भर्ती के तरीकों और सेवा की शर्तों और भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित मौजूदा आदेशों की व्याख्या पर डीओपीटी की सलाह लेने की आवश्यकता है। डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देश हालांकि उन विशिष्ट प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों में निहित हैं। इस कठिनाई का सामना करते हुए, अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया है कि आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) को शामिल नहीं किया गया था, जबकि आर. आर. 2016 को डी. ओ. पी. टी. की सलाह पर इस आधार पर तैयार किया जा रहा था कि आमतौर पर भर्ती नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है। यह प्रस्तुति विभाग द्वारा किए गए प्रकटीकरण पर आधारित है

3 जुलाई 2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्व। आर. टी. आई. प्रकटीकरण के साथ संलग्नक में निम्नलिखित सारणी शामिल हैः

विभाग द्वारा अनुमोदित आर. आर. का मसौदा जिसके लिए डी. ओ. पी. टी उनके खिलाफ टिप्पणियों का उल्लेख किया गया हैः

एसके नौसाद रहमान और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एस. आई.

प्रस्ताव

डीओपीटी की टिप्पणियाँ

नहीं।

कर्नल 12 सहायक का जोड़।

ए. एस. एस. टी. को जोड़ने के लिए फाइल में उपलब्ध कारण।

((i)

प्रोग्रामर (डी. ई. ओ. ग्रेड डी) (पी. बी.-2)

प्रोग्रामर (संख्या में केवल 5) को जीपी को रु. प्रदान करना है। 4200) और स्टेनो जीआर। I (पीबी-2 मंत्री/कार्यकारी पक्ष में पदोन्नति का मार्ग

जी. पी. रु. 4200) आई. एन. एस. पी. के लिए फीडर ग्रेड के रूप में

तकनीकी पक्ष (पी. 11/सी) के बजाय। कोई कारण नहीं है (सी एंड ई); आई. एन. एस. पी। (पी. ओ.) और आई. एस. पी. (परीक्षा) स्टेनो जी. आर. आई. को जोड़ने के लिए दिए गए हैं।

पर्याप्त नहीं है या नहीं दिया गया है, हम फीडर ग्रेड में दोनों पदों को जोड़ने के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं।

((ii) कर्नल 12 आयु सीमा की आवश्यकता

यह सुझाव इस विभाग द्वारा पहले दिया गया था, लेकिन दिए गए औचित्य के कारण, डीओपीटी ने सहमति व्यक्त की

विभागीय में उपस्थित होने के लिए

आयु सीमा बनाए रखने के प्रस्ताव को मंजूरी

परीक्षा समाप्त कर दी गई है

पदोन्नति (p.76-83/L/F का N)। अब एक अदालत के फैसले को देखते हुए, राजस्व विभाग ने सुझाव दिया है कि

प्रस्ताव। हम उसी के लिए सहमत हो सकते हैं।

((iii) कलम 12 में टिप्पणी 2-अपेक्षित

यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्व विभाग ने जोर देकर कहा है कि

ऊँचाई के लिए वितरण किया जा रहा है

शारीरिक परीक्षण और शारीरिक परीक्षण के लिए प्रावधान रखना

जिन्हें भर्ती किया गया है

नौकरी के कारण पदोन्नति पर विचार करने के लिए मानक

ऐसे मानदंडों के बिना

इंस्पेक्टर का स्वभाव कठिन होता है। जिस तरह से परिस्थितियाँ समान रहती हैं, हम प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकते हैं।

((iv) नियम 4 में प्रावधान

चूंकि इस तरह का प्रावधान आम तौर पर आरआर में नहीं किया जाता है,

(अधिसूचना भाग) वर्णन के लिए

हम सहमत हो सकते हैं।

अंतर-आयुक्तालय प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना

हटाने के लिए सुझाव दिया गया था

(v) कोल। 7 इसके अतिरिक्त वर्षों से संबंधित वर्षों को हटाया जा सकता है।

सेवा

(vi) कर्नल 10 (पुनः क्रमांकित 9)

समूह में परिवर्तन होने पर यह लागू होता है। कर्नल 11 (पुनः क्रमांकित 10)

(vii) कर्नल 11 (पुनः संख्या 10)

33 1/3 % पदोन्नति द्वारा

33 1/3 % विभागीय माध्यम से पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति या तो योग्य है (इससे जुड़ा नहीं है) रिक्तियां) या प्रतिस्पर्धी (रिक्तियों से जुड़े) कर्नल 12 में परिणामी परिवर्तन (पुनः संख्या 11) (जोर दिया गया)

39. उपरोक्त सारणीकरण इंगित करता है कि प्रस्ताव जो था

इससे राजस्व विभाग ने आर. आर. 2002 के नियम 4 (ii) में निहित विशिष्ट प्रावधान को अपनाना उचित नहीं समझा। जब आर. आर. 2016 का नियम 5 बनाया गया था, तब आयुक्तालय स्तर पर अन्य संवर्गों के व्यक्तियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी।

उस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, सी. सी. ए. के नियंत्रण में संवर्ग के बाहर का एक कर्मचारी निम्न के आधार पर आई. सी. टी. का दावा नहीं कर सकता हैः

कार्यकारी निर्देश। डी. ओ. पी. टी. द्वारा ओ. एम. के रूप में जारी किए गए कार्यकारी निर्देश आर. आर. 2016 पर प्रबल नहीं होंगे जो अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए हैं। इसी तरह, राजस्व विभाग द्वारा 27 मार्च 2009 को जारी किए गए निर्देश, आईसीटी पर प्रतिबंध में ढील देते हुए, जो 19 फरवरी 2004 को लगाया गया था और 27 अक्टूबर 2011 के बाद के निर्देश उस समय जारी किए गए थे जब आरआर 2016 तैयार किया जाना बाकी था। आर. आर. 2016 के तहत परिकल्पित शासन के आने पर ये निर्देश शासन या प्रबल नहीं होंगे।

बल देते हैं।

40. अपीलार्थियों की ओर से, निर्भरता रखने की मांग की गई थी

प्रबीर बनर्जी बनाम में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर। भारत संघ और अन्य 3 0। उस मामले में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जबलपुर पीठ को चुनौती देने के लिए स्थानांतरित किया गया था

इंदौर से नागपुर स्थानांतरण का आदेश इस आधार पर कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण प्रतिबंधित था। याचिकाकर्ता को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और भोपाल क्षेत्र में अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

इसमें भोपाल, इंदौर और रायपुर के आयुक्तालय शामिल थे। 19 फरवरी 1994 को राजस्व विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए।

समूह बी, सी और डी के कर्मचारियों के लिए आई. सी. टी. को यह निर्धारित करते हुए बंद कर दिया गया कि असाधारण परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अनुमति तीन साल की अवधि के लिए दी गई थी, जिसे अत्यधिक अवधि पर एक साल तक बढ़ाया जा सकता था।

अनुकंपा के आधार। उपरोक्त परिपत्र में 9 मार्च 2004 को संशोधन किया गया था जिसमें यह परिकल्पना की गई थी कि एक सामान्य संवर्ग वाले आयुक्तालयों के बीच आई. सी. टी. को अब तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जहां वरिष्ठता का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद, अन्य अधिकारियों के साथ, याचिकाकर्ता को इंदौर आयुक्तालय से नागपुर आयुक्तालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे इस पर चुनौती देने की मांग की गई।

इस आधार पर कि अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण पर प्रतिबंध जारी रहा। न्यायाधिकरण ने ओ. ए. को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया। जबकि याचिकाकर्ता ने अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण पर प्रतिबंध पर भरोसा किया, भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 24 अगस्त 2004 के बोर्ड के निर्देशों पर भरोसा किया, जो दर्शाता है कि बोर्ड के विभाजन की मांग पर निर्णय लंबित है।

30 (2007) 8 एस. सी. सी. 793 एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

नागपुर और इंदौर जिलाधिकारियों से संबंधित समूह बी, सी कैडरों में यह निर्णय लिया गया था कि दोनों जिलाधिकारियों का कैडर नियंत्रण नागपुर क्षेत्र और इंदौर क्षेत्र के जिलाधिकारियों के बीच वितरित किया जाएगा। नागपुर क्षेत्र के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर को मंत्रिस्तरीय संवर्ग से संबंधित समूह बी और सी कर्मचारियों का सी. सी. ए. बनाया गया था, जबकि

कार्यकारी संवर्ग में समूह बी और सी के अधिकारियों के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर के कलेक्टर को सी. सी. ए. बनाया गया था। चूँकि अधीक्षक का पद कार्यकारी संवर्ग में समूह बी का पद था और दो कलेक्टरों के संबंध में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इंदौर का कलेक्टर कलेक्टरों में ऐसे कर्मचारियों का सी. सी. ए. बन गया। इसी पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह प्रत्यर्थी के इस रुख से सहमत होने के लिए इच्छुक है कि स्थानांतरण केंद्रीय सेवा नियमों के तहत सेवा की एक घटना है, लेकिन याचिकाकर्ता के पास भोपाल क्षेत्र से नागपुर क्षेत्र में उनके स्थानांतरण की शिकायत करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि स्थानांतरण का आदेश केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल क्षेत्र के मुख्य आयुक्तालय द्वारा बोर्ड द्वारा अपने 16 जनवरी 2003 के परिपत्र द्वारा निहित शक्तियों के तहत जारी किया गया था। इस न्यायालय ने कहाः

" 22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थानांतरण अखिल भारतीय सेवा में सेवा की एक घटना है और केंद्रीय सेवा नियमों के तहत नियंत्रण

प्राधिकरण याचिकाकर्ता को भारत में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सक्षम था, जहां वह ऐसा करना समीचीन समझता था। लेकिन उपरोक्त के अलावा, हमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के दिनांक 1 के निर्णय को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके द्वारा नागपुर और इंदौर कलेक्टरों से संबंधित समूह 'बी' और 'सी' कैडरों के विभाजन की मांग पर निर्णय लंबित है, बोर्ड ने निर्णय लिया कि उक्त दो कलेक्टरों के कैडर नियंत्रण को दोनों कलेक्टरों के बीच वितरित किया जाएगा जैसा कि उक्त संचार में संकेत दिया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर के कलेक्टर को समूह 'बी' और 'सी' मंत्रिस्तरीय कैडर का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण बनाया गया था, वहीं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर के कलेक्टर को समूह 'बी' और 'सी' के कार्यकारी कैडर का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण बनाया गया था। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय था, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत दो जिलाधिकारियों के बीच हस्तांतरण से संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष नियम के अभाव में, उक्त प्रशासनिक निर्देश को लागू करना होगा। नागपुर और इंदौर के बीच कलेक्टोरेट स्थानांतरण

कलेक्टोरेट चिंतित थे। वास्तव में, बाद के परिपत्र दिनांक [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा

16-1-2003 बोर्ड ने आगे घोषणा की कि मुख्य आयुक्त

एक आयुक्तालय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क का होगा समूह 'बी' स्तर के कर्मचारियों तक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण और इसके कार्यों में इसके कार्यान्वयन की निगरानी शामिल होगी।

स्थानान्तरण और न्यायसंगतता के संबंध में बोर्ड के निर्देश श्रमशक्ति और भौतिक संसाधनों का वितरण

आयुक्तालय/क्षेत्र "।

41. प्रबीर बनर्जी (ऊपर) में निर्णय इसलिए था

अलग-अलग तथ्य।

42. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था किः

आरआर 2002 में आई. सी. टी. के लिए एक विशिष्ट प्रावधान था;

((i)

नियम 4 (ii) के तुलनीय प्रावधान का अभाव है।

((ख)

आर. आर. 2016 में आर. आर. 2002 का;

(iii)

इसके विपरीत, आर. आर. 2016 का नियम 5 विशेष रूप से निर्धारित करता है

कि प्रत्येक सी. सी. ए. का अपना अलग संवर्ग होगा जब तक कि

सीबीईसी द्वारा निर्देशित;

(iv) कोई भी आई. सी. टी. प्रत्येक संवर्ग की विशिष्ट पहचान का उल्लंघन करेगा।

नियम 5 में परिकल्पित;

(v) कोई भी आई. सी. टी. आदेश उस क्षेत्र का उल्लंघन करेगा जिस पर कब्जा किया गया है।

उन नियमों द्वारा जो परंतुक के अनुसार बनाए गए हैं

संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार;

(vi) 20 सितंबर 2018 का परिपत्र पूरी तरह से स्पष्ट करता है।

स्पष्ट करें कि आर. आर. 2016 में अवशोषण द्वारा भर्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं है और किसी भी आई. सी. टी. आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

आर. आर. 2016 के लागू होने के बाद;

(vii) स्थानांतरण सेवा की एक शर्त है और यह शक्तियों के भीतर है।

नियोक्ता का कर्मचारियों को आई. सी. टी. देने या न देने का नीतिगत निर्णय लेना; और

(viii) न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

उस प्रकृति के नीतिगत निर्णय के साथ।

43. शर्तों का निर्धारण करते समय नीति निर्माण का क्षेत्र

इसके कर्मचारियों का प्रभार केंद्रीय सिविल सेवा से संबंधित व्यक्तियों के लिए संघ को और एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. से संबंधित व्यक्तियों के लिए राज्यों को सौंपा गया है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उनकी सिविल सेवाएँ। यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में कार्यपालिका को कोई विशेष नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। फिर भी, किसी नीति की वैधता का आकलन संवैधानिक मापदंडों की कसौटी पर किया जा सकता है। इसके अलावा, संवैधानिक मापदंडों पर किसी नीति की वैधता का परीक्षण करने से पहले, न्यायिक समीक्षा निश्चित रूप से राज्य को नीतियों को तैयार करते समय संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता तक विस्तारित कर सकती है। संविधान के भाग III के अधिदेश के अनुरूप राज्य को अपनी नीति तैयार करते समय संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

एक तरीका जो उन मूल्यों को लागू और लागू करता है।

44. तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 20 सितंबर 2018 के परिपत्र को संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी गई है। पहला इस आधार पर है कि विवादित परिपत्र एक ही सेवा के भीतर विभिन्न वर्गों के पदों के संबंध में आई. सी. टी. को प्रतिबंधित करता है, और इसलिए यह समूह ए, बी और सी के कर्मचारियों के बीच भेदभावपूर्ण है। हम इस आधार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि रिकॉर्ड पर यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि तीनों समूह एक-दूसरे के साथ समान रूप से जुड़े हुए हैं। यह मामला हो सकता है कि आई. सी. टी. के दुरुपयोग के मामले कर्मचारियों के संबंध में अधिक हैं।

समूह बी, अन्य समूहों के विपरीत। इस तरह के निर्णय सेवा की ताकत और प्रशासन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं।

45. विवादित परिपत्र को लैंगिक समानता के पहलू और विकलांगों के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता पर आगे चुनौती दी गई है

लोग। हम इन दोनों मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

46. लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले में। भारत संघ 3 1, जिसमें से हम में से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) एक हिस्सा हैं, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का भेदभाव के दृष्टिकोण के विपरीत है

संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत मूल समानता। मौलिक समानता के सिद्धांत और इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में भेदभाव के साथ इसके जुड़ाव पर विस्तार से बताते हुए, न्यायालय का निर्णय हमारे समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना पर आधारित जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है। नितिशा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 57. यह स्वीकार करते हुए कि कुछ समूहों को भेदभाव और हाशिए पर डालने के प्रतिमानों के अधीन किया गया है, यह अवधारणा प्रदान करती है कि तथ्यात्मक समानता की प्राप्ति तभी संभव है जब हम इन जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखें। यह अवधारणा उन कानूनों और प्रथाओं को गैर-आलोचनात्मक रूप से अपनाने से बचाती है जो तटस्थ प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में एक अन्यायपूर्ण स्थिति को मान्य करने और बनाए रखने में मदद करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. अप्रत्यक्ष भेदभाव मूल से निकटता से जुड़ा हुआ है ऊपर उल्लिखित समानता की अवधारणा। मूल समानता और विरोधी रूढ़िवादिता का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विकास रहा है

अनुच्छेद 14 और 15 (1) पर भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र। इन सिद्धांतों की भावना का इस न्यायालय द्वारा एक सुसंगत अधिकार रेखा में समर्थन किया गया है। उदाहरण के लिए, अनुज गर्ग बनाम। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया [(2008) 3 एस. सी. सी. 1], इस न्यायालय ने माना कि लिंग आधारित रूढ़िवादिता पर आधारित कानून संवैधानिक रूप से हैं।

अस्वीकार्य, कि वे सामग्री में पुराने हो गए हैं और इसमें दम तोड़ रहे हैं

मतलब। अदालत ने आगे कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो समाप्त हो जाए

महिलाओं के उत्पीड़न को कायम रखना जांच से गुजर सकता है। बाधाएं जो महिलाओं को पूर्ण और समान आनंद लेने से रोकती हैं

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अन्यायपूर्ण स्थिति को मान्य करने के लिए उद्धृत किए जाने के विपरीत नागरिकता को समाप्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ [(2014) 5 एस. सी. सी. 438], इस न्यायालय ने मान्यता दी कि कैसे ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा भेदभाव और नुकसान के पैटर्न का सामना करना पड़ता है और उनके सशक्तिकरण के लिए किए जा सकने वाले उपचारात्मक उपायों की एक श्रृंखला की गणना की। जीजा घोष बनाम। भारत संघ [(2016) 7 एस. सी. सी. 761 और विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग [2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 84] इस न्यायालय ने एक पर्याप्त समानता सुविधा प्रदाता के रूप में उचित आवास को मान्यता दी।

47. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भेदभाव हमेशा एक सचेत अभिकल्पना या इरादे का परिणाम या उत्पाद नहीं होता है। अचेतन पूर्वाग्रह या असमान प्रभावों को पहचानने में विफलता के कारण भेदभाव हो सकता है।एन अंतर्निहित सामाजिक संरचना द्वारा उत्पादित होते हैं। पैराग्राफ में

नितिशा (ऊपर) में निर्णय, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 83. उपरोक्त मामलों और विद्वतापूर्ण कार्यों का अध्ययन जन्म देता है -

निम्नलिखित प्रमुख सीखें। सबसे पहले, अप्रत्यक्ष का सिद्धांत

भेदभाव इस सम्मोहक अंतर्दृष्टि पर आधारित है कि

भेदभाव अक्सर एक कार्य हो सकता है, न कि सचेत अभिकल्पना या दुर्भावनापूर्ण इरादे का, बल्कि अचेतन/अंतर्निहित पूर्वाग्रह या यह पहचानने में असमर्थता कि मौजूदा संरचनाओं/संस्थानों और चीजों को करने के तरीकों का एक अन्यायपूर्ण स्थिति को रोकने का परिणाम कैसे होता है। के तहत निर्धारित मूल समानता प्राप्त करने के लिए

संविधान, अप्रत्यक्ष भेदभाव, यहाँ तक कि भेदभावपूर्ण इरादे के बिना,

प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

84. दूसरा, और एक संबंधित बिंदु के रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव के बीच अंतर व्यापक रूप से एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस. के आधार पर किया जा सकता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पहला इरादे पर आधारित है, जबकि दूसरा प्रभाव (अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा) पर आधारित है। वैकल्पिक रूप से, यह इस तथ्य पर आधारित हो सकता है कि पहले वाले को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, जबकि बाद वाले को (यूके) माना जा सकता है। हमारा विचार है कि इरादे के प्रभाव का अंतर एक ठोस न्यायशास्त्रीय आधार है जिसके आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव में अंतर किया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे विचार में अप्रत्यक्ष भेदभाव की सबसे सम्मोहक विशेषता यह है कि यह ऐसे आचरण को प्रतिबंधित करता है, जिसका भेदभावपूर्ण होने का इरादा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में

इसे ओंटारियो एच. आर. सी. (ऊपर) [ओंटारियो मानवाधिकार में डालें।

आयोग v. सिम्पसंस-सियर्स [1985] 2 एस. सी. आर. 53], जिसमें भेदभाव स्थापित करने के इरादे के प्रमाण की आवश्यकता होती है, "उपचार की मांग करने वाले शिकायतकर्ता के रास्ते में एक अक्षम्य बाधा" डालती है। यही बाधा है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव की एक मजबूत अवधारणा हमें सक्षम बना सकती है।

विरोध करने के लिए "।

48. इस न्यायालय ने कार्यस्थल पर लिंग के कारण प्रणालीगत भेदभाव के बारे में बात की है जो पितृसत्तात्मक को समाहित करता है।

निर्माण जो एक अन्यायपूर्ण संरचना के भीतर प्रजनन, कामुकता और निजी विकल्पों सहित शुरुआत से ही एक महिला के अस्तित्व के सभी पहलुओं में व्याप्त है। डी. ओ. पी. टी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ओ. एम. ने माना कि राज्य के कार्यस्थल में महिलाओं को समानता और समान अवसर प्रदान करने के लिए, सरकार के लिए ऐसी नीतियां अपनाना आवश्यक हो जाता है जिनके माध्यम से वह कार्यस्थल में महिलाओं के लिए औपचारिक समानता से अलग अवसर की पर्याप्त समानता पैदा करे। महिलाएं एक पितृसत्तात्मक मानसिकता के अधीन होती हैं जो उन्हें प्राथमिक देखभाल करने वालों और गृहिणियों के रूप में मानती है और इस प्रकार, वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के असमान हिस्से के बोझ से दबी होती हैं। महिलाओं के लिए पर्याप्त समानता सुनिश्चित करने के उपाय न केवल उन नुकसानों को ध्यान में रखते हैं जो कार्यस्थल तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए काम करते हैं, बल्कि समान रूप से उन नुकसानों को भी ध्यान में रखते हैं जो एक महिला के कार्यस्थल तक पहुंच प्राप्त करने के बाद भी जारी रहते हैं। असमान परिणाम उत्पन्न करने में लिंग का प्रभाव पहुंच के बिंदु से परे काम करना जारी रखता है। मूल समानता प्राप्त करने के वास्तविक उद्देश्य को राज्य द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के निरंतर पैटर्न को पहचानने के लिए पूरा किया जाना चाहिए जब वे कार्यस्थल पर हों। दिनांक 3 अप्रैल 1986,23 अगस्त 2004,8 जुलाई 2009 और 30 सितंबर 2009 के डी. ओ. पी. टी. ओ. एम. ने अंतर्निहित सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव को मान्यता दी।

कार्यस्थल पर महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डालना और भेदभाव करने के इरादे के साथ या उसके बिना भी असमान परिणाम उत्पन्न करना। पति-पत्नी की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह इस मायने में मौलिक रूप से [2022] 12 एस. सी. आर. है।

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को अपनाने की आवश्यकता पर आधारित जो संविधान के अनुच्छेद 15 (3) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। जिस तरीके से राज्य द्वारा एक विशेष प्रावधान को अपनाया जाना चाहिए, वह एक नीतिगत विकल्प है जिसका उपयोग संवैधानिक मूल्यों और प्रशासन की जरूरतों को संतुलित करने के बाद किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपनी भूमिका के साथ-साथ संवैधानिक मानदंडों के अधीन एक संस्थान के रूप में भी मूल समानता के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए जब वह अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए भी नीति तैयार करता है।

49. चुनौती का दूसरा आधार जो उठाया गया है वह यह है कि विवादित परिपत्र विकलांगों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखता है

राज्य के कार्यबल में व्यक्ति। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 समाज के विकलांग सदस्यों के लिए उचित आवास के सिद्धांत को मान्यता देने के लिए एक वैधानिक अधिदेश है। विकास कुमार बनाम सहित इस न्यायालय के कई फैसलों में इस दायित्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग और अन्य 32, अवनि प्रकाश बनाम। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य 33 3 3 और रविंदर कुमार धारीवाल और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 34. विकास कुमार (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा किः

" 63. अक्षमता के विशिष्ट संदर्भ में, उचित आवास का सिद्धांत यह मानता है कि जो स्थितियां विकलांगों को समाज के समान सदस्यों के रूप में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से बाहर रखती हैं, उन्हें एक ऐसे समायोजन समाज को रास्ता देना होगा जो अंतर को स्वीकार करता है, उनकी आवश्यकताओं का सम्मान करता है और निर्माण को सुविधाजनक बनाता है।

एक ऐसे वातावरण में जिसमें विकलांगता के लिए सामाजिक बाधाएं हैं

उत्तरोत्तर उत्तर दिया। आवास का अर्थ है एक सकारात्मक

शासन या, व्यक्तिगत स्तर पर, पूर्ण गोपनीयताओं को महसूस करने में पारिवारिक जीवन। आवास जिसे कानून अनिवार्य करता है

" उचित "क्योंकि इसे विकलांगता की प्रत्येक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक विकलांग व्यक्ति की अपेक्षाएँ विकलांगता की प्रकृति के लिए अद्वितीय हैं और

बाधाओं का चरित्र जो इसके रूप में सामने आते हैं परिणाम "।

33 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1112 34 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1293 एस. के. नौसाद रहमान और ओ. आर. एस.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

50. व्यक्तियों की निजता, गरिमा और पारिवारिक जीवन के अधिकारों में राज्य का हस्तक्षेप आनुपातिक होना चाहिए। अक्षय एन में यह अदालत। पटेल बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि नीति के निर्माण को एक एकीकृत आनुपातिकता विश्लेषण को पूरा करना चाहिए जो जवाब देता है कि क्या

माप हैः

((i) किसी वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए;

((ख)

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त;

(111) उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक; तथा

(€ (iv) व्यक्ति के अधिकारों के साथ पर्याप्त रूप से संतुलित होना।

51. वर्तमान मामले में राज्य को दो उद्देश्यों द्वारा निर्देशित किया गया हैः पहला, आई. सी. टी. के दुरुपयोग की संभावना और दूसरा, विकृति जो है

सेवा में होने के कारण मुकदमेबाजी की भरमार हो जाती है। राज्य को अपने कर्मचारियों के लिए नीति बनाते समय उचित विचार करना होगा।

व्यक्ति की गरिमा और गोपनीयता के अभिधारणा के एक तत्व के रूप में पारिवारिक जीवन की रक्षा के महत्व के लिए। पारिवारिक जीवन को बनाए रखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष नीति को कैसे संशोधित किया जाना चाहिए, यह राज्य द्वारा निर्धारित की जाने वाली सीमा पर छोड़ दिया जा सकता है। हालाँकि अपनी नीति तैयार करने में राज्य को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह पारिवारिक जीवन के संरक्षण सहित बुनियादी संवैधानिक मूल्यों से अनजान रहेगा।

जो अनुच्छेद 21 की एक घटना है। 52. 20 सितंबर 2018 के परिपत्र में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि यह "असाधारण परिस्थितियों" जैसे "चरम" का वर्णन करता है।

अनुकंपा के आधार "। इन श्रेणियों को अनिर्धारित छोड़ते हुए, परिपत्र व्यक्तिगत मामलों को मामले-दर-मामले आधार पर उनके गुण-दोष के आधार पर निर्धारित करने की अनुमति देता है, जबकि यह निर्धारित करता है कि "ऋण आधार" पर हस्तांतरण की अनुमति प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन तीन साल की अवधि के साथ दी जा सकती है, जिसे दो साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। आई. सी. टी. को प्रतिबंधित करते हुए जो एक अलग संवर्ग से एक व्यक्ति के संवर्ग में अवशोषण की परिकल्पना करता है, परिपत्र ऋण के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए हस्तांतरण की अनुमति देता है। क्या इस तरह के प्रावधान को विशेष रूप से शामिल मामलों को शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए

((i) पति-पत्नी की नियुक्ति;

विकलांग व्यक्ति; या

((ख)

अनुकंपापूर्ण स्थानांतरण एक ऐसा मामला है जो होना चाहिए

(iii)

बोर्ड द्वारा नीतिगत स्तर पर विचार किया जाता है।

53. इस बात पर विचार करते हुए कि क्या नीति में कोई संशोधन आवश्यक है, उन्हें नीति के उद्देश्यों और इसे लागू करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच आनुपातिक संबंध की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। इन सबसे ऊपर नीति को वैधता, उपयुक्तता, आवश्यकता और उन मूल्यों को संतुलित करने की कसौटी को पूरा करना होता है जो संवैधानिक मूल्यों द्वारा सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को आधार बनाते हैं। इसलिए जब हम केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को बरकरार रखते हैं, तो हम उत्तरदाताओं के लिए यह खुला छोड़ते हैं कि वे पति-पत्नी की नियुक्ति, विकलांगों की जरूरतों और अनुकंपा के आधार को समायोजित करने के लिए नीति पर पुनर्विचार करें। इस तरह की कवायद को कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया जाना चाहिए, इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 और अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले संवैधानिक मूल्यों की विधिवत रक्षा की जाए। अपीलें

उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाएगा।

54. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)